अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

नवीन सामाजिक शोध

वर्ष - 10 अंक - 6 (कुल अंक 113) अगस्त 2018

R.N.I. M.P.HIN/2009/29572 ISSN-0975-4431

[illegible]

भोपाल-[illegible] (म.प्र.) दूरभाष : [illegible]

E-mail : naveensamajikshodh@yahoo.com

website : www.naveensamajikshodh.com

संस्थापक प्रधान संपादक

स्व. डॉ. जी. सी. सक्सेना

प्रधान संपादक

राजेन्द्र सक्सेना

प्रबंध संपादक

अभिजीत सक्सेना

संपादक

श्रीमति सविता सक्सेना

उप संपादक

डॉ. संजय अग्रवाल (चिकित्सक)

डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)

डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य) ग्वा.

[illegible]

डॉ अनुपमा सुरेश

शोध अधिकारी

डॉ यू.पी.शुक्ला

ग्राफिक्स

राज यादव

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक
पो. बॉ. नं. 161, पोस्टल कोड नं. 119, सहम सुल्तानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर कोटा अर्थशास्त्री
प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्काईलाईन युनिवर्सिटी, शारजाह, यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर,
111, शेख रशीद बिल्डिंग, शेख जायेद रोड, यूएई, दुबई

4. डॉ. प्रिंस डेविड दंत चिकित्सक
11, अलब्रेस्ट एवेन्यू, मार्डट रस्किल, ऑकलेण्ड 1041, न्यूजीलेण्ड

5. श्री सजग चतुर्वेदी
स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी, थाईलैण्ड

6. श्रीमति ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

7. श्रीमति प्रतिभा, कनाडा

8. डॉ. उमेश रस्तोगी, लंदन

सहयोग राशि : देश में : साधारण अंक 50 /- वार्षिक : 500 /-
आजीवन सदस्यता : 5000 /-
विदेशों में : साधारण अंक : 9 डॉलर, वार्षिक : 90 डॉलर
सारे भुगतान (मनीआर्डर/चेक/ड्राफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से लिये जायेंगे।
चेक से भुगतान करने पर रू. 30/- अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक : राजेन्द्र सक्सेना द्वारा राजा प्रिंटिंग प्रेस ,प्लाट नं.2 लाला लाजपत राय कालोनी,बागदिल कुशाहुरा भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित एवं 25, रूप नगर कॉलोनीजे.के. रोड़, भोपाल-462 023 (म.प्र.)। से प्रकाशित। संपादक - श्रीमति सविता सक्सेना।

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार है। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। हमारा संपादक मंडल पूर्णत अवैतनिक एवं अव्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में ....

1. भारत वर्ष में कृषि .... डॉ. सी.एस. आरमो —6

2. सामाजिक बदलाव की .... धनंजय बर्लिंगे—17

3.How solar energy powers .... Ku. Poonam Gurjar —23

4. Letter of credit........Dr.Rahul Jain—30

5. .भारतीय समाज में........डॉ. वंदना गॉधी' —36

6. पंचायती राज संस्थाओं में........गीता सिंह —44

7. Impact of Ambedkar's Journalism........Karnika Dubey—49

सलाहकार मंडल

- प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान — पूर्व कुलपति, बरकतउल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय भोपाल-म.प्र.। फोन: 0755-2424777

- प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना, पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर म.प्र.। फोन 0755-2628055

- प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव पूर्व कुलपति डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर-म.प्र.

- प्रो. डॉ. राजपाल सिंह — सदस्य सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा) भारत सरकार मो. 9425028689

- ,डॉ.आर.एम श्रीवास्तव — पूर्व प्राचर्य, मोतीलाल विज्ञान महा विद्यालय भोपाल मध्यप्रदेश मानव मो.9826286410

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

संपादक मंडल

- प्रो. [illegible], विभागाध्यक्ष, [illegible] शा.विदिशा [illegible] कालेज
- प्रो. [illegible], विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान शा. सरोजनी नायडू कालेज
- प्रो. [illegible] चौहान, माखनलाल विश्वविद्यालय, भोपाल
- प्रो. [illegible], प्राचार्य [illegible] महाविद्यालय [illegible] जिला सिहोर
- प्रो. [illegible], विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली-तमिलनाडु (620024)
- प्रो. [illegible], विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात।
- प्रो. डॉ. [illegible] जैन, प्राचार्य [illegible] महाविद्यालय, पिपरिया।
- प्रो. [illegible] चौहान, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग जम्मू एण्ड कश्मीर .।
- डॉ. [illegible] पूर्व प्राचार्य [illegible] महाविद्यालय मध्यप्रदेश
- डॉ. [illegible] सिहोर म.प्र.
- डॉ. [illegible], सहायक प्राध्यापक, [illegible] विभाग [illegible] कालेज, [illegible] भोपाल।
- डॉ. [illegible], [illegible] विभाग, [illegible] भोपाल।
- डॉ. [illegible], सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग [illegible] कॉलेज भोपाल
- डॉ. [illegible] कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट बी.बी.डी.एस.डी. (पीजी) कालेज पलवल।
- डॉ. [illegible], सह. प्राध्यापक, [illegible] कॉलेज, भोपाल।
- डॉ. [illegible], विक्रम युनिवर्सिटी, उज्जैन।
- डॉ. [illegible], व्याख्याता, [illegible] भोपाल।
- डॉ. [illegible], व्याख्याता, हिन्दी विभाग, अ.मु.वि. अलीगढ़-उ.प्र.।
- डॉ. [illegible] मिश्रा, पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरण पी.जी. कालेज, लखनऊ।
- [illegible] गुप्ता, एल-3/5 बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल।
- [illegible], सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र [illegible] माखनलाल विश्वविद्यालय

संपादकीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवन परिचय

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत माता के एक ऐसे सपूत हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात भी अपना जीवन देश और देशवासियों के उत्थान एवं कल्याण हेतु जीया तथा जिनकी वाणी से असाधारण शब्दों को सुनकर आम जन उल्लासित होते रहे और जिनके कार्यों से देश का मस्तक ऊंचा हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में 25 दिसंबर, 1924 को इनका जन्म हुआ। पुत्रप्राप्ति से हर्षित पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी को तब शायद ही अनुमान रहा होगा कि आगे चलकर उनका यह नन्हा बालक सारे देश और सारी दुनिया में नाम रौशन करेगा।

इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज - जो अब लक्ष्मीबाई कॉलेज कहलाता है - में तथा कानपुर उ। प्र। के डी। ए। वी। कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की और राजनीति विज्ञान में एम। ए।की उपाधि प्राप्त की। सन् 1993 मे कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा दर्शन शास्त्र में पी।एच डी की मानद उपाधि से सम्मानित किए गए।

भारतीय स्वातंर्त्य-आंदोलन में सक्रिय योगदान कर 1942 में जेल गए। वाजपेयी जी राष्टीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य और सन् 1951 में गठित राजनैतिक दल 'भारतीय जनसंघ' के संस्थापक सदस्य थे। सन् 1966-67 सरकारी प्रत्याभूतियों की समिति के अध्यक्ष, सन् 1967 से 70 तक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे। सन् 1968 से 73 तक वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। सन् 1975-77 के दौरान आपातकाल में बंदी रहे। 1977 से 79 तक भारत के विदेश मंत्री, सन् 1977 से 80 तक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, सन् 1980-86 भाजपा अध्यक्ष, सन् 1980-84 , 1986 तथा 1993-96 के दौरान भाजपा संसदीय दल के नेता रहे। सन् 1957 में दूसरी लोकसभा के लिए प्रथम बार निर्वाचित हुए। तब से 2004 में 14वीं लोकसभा हेतु हुए संसदीय आम चुनाव तक ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ से प्रत्याशी होकर निर्वाचित होते रहे। सन् 1962-67 और 1986-91 के दौरान आप राज्य सभा के सम्मानित सदस्य थे और सन् 1988 से 89 तक सार्वजनिक प्रयोजन समिति के सदस्य। ये सन् 1988-90 में संसद् की सदन समिति तथा व्यापारिक परामर्श समिति के सदस्य रहे। सन् 1990-91 में याचिका समिति के अध्यक्ष बने और सन् 1993 से 1996 तक तथा 1997 -98 में विदेश नीति समिति के अध्यक्ष रहे। सन् 1993-96 और 1996-97 में लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता थे।

सन् 1999 में लोक सभा में भाजपा संसदीय दल के नेता और सन् 2004 में भाजपा और एनडीए संसदीय दल के अध्यक्ष रहे।

भारत के बहुदलीय लोकतंत्र में ये ऐसे एकमात्र राजनेता हैं, जो प्राय: सभी दलों को स्वीकार्य रहे। इनकी विशेषता के कारण ये 16 मई, 1996 से 31 मई, 1996 तथा 1998 - 99 और 13 अक्तूबर, 1990 से मई, 2004 तक तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत की संस्कृति, सभ्यता, राजधर्म, राजनीति और विदेश नीति की इनको गहरी समझ है। बदलते राजनैतिक पटल पर गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक बनाने, चलाने और देश को विश्व में एक शक्तिशाली गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकने की करामात इन जैसे करिश्माई नेता के बूते की ही बात थी। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में जहां इन्होंने पाकिस्तान और चीन से संबंध सुधारने हेतु अभूतपूर्व कदम उठाए वहीं अंतर राष्टीय दवाबों के बावजूद गहरी कूटनीति तथा दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते हुए पोकरण में परमाणु विस्फोट किए तथा कारगिल-युद्ध जीताच

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारत वर्ष में कृषि भूमि उपयोग एवं खाद्यान्न उत्पादकता एवं उपलब्धता का विश्लेषण (भूमि अधिग्रहण विधेयक के संदर्भ में)

• डॉ. सी.एस. आरमो
सहायक प्राध्यापक (भूगोल),
क्षेत्रीय नियोजन एवं आर्थिक विकास विभाग,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)।

•• डॉ. अरूण कुमार बोरकर
अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र),
क्षेत्रीय नियोजन एवं आर्थिक विकास विभाग,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)

सारांश

किसी देश, क्षेत्र अथवा स्थान विशेष के आर्थिक विकास में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूमि एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी सीमित उपलब्धता हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है, कि सीमित उपलब्धता का अनुकूलतम उपयोग करके अधिकतम आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जाय।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत वर्ष में कृषि भूमि उपयोग जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्यान्न उपलब्धता का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तथा खेती एवं खेती पर आधारित कार्यो से अपना जीवनयापन करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत वर्ष में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनेंक क्रांतिकारी योजनाएं संचालित की गई, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिसमें 1966–67 में हरित क्रांति प्रमुख है। जिसका खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर गेहूँ के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

प्रस्तुत शोध पत्र में 1960–61 से 2013–14 तक की समयावधि में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन, उत्पादकता, भूमि उपयोग एवं जनसंख्या के प्रतिरूपों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 1960–61 से 2013–14 तक की समयावधि में गेहूँ का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, जहाँ वर्ष 1960–61 में यह 11 लाख टन था, जो बढ़कर 2013–14 में 95.91 लाख टन हो गया। इसी प्रकार चावल का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है वर्ष 1960–61 में यह 34.58 लाख टन था जो बढ़कर 2013–14 में 106.54 लाख टन हो गया। इसके साथ ही मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा एवं मक्का) तथा दालों का उत्पादन मंद गति से बढ़ा है। दूसरी ओर प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन का अध्ययन करने पर पाया कि प्रति हेक्टेयर गेंहू की उत्पादकता तेजी से बढ़ी है, जो इस समयावधि में 261.33 प्रतिशत रही है, इसके साथ ही मोटे अनाज एवं चावल की उत्पादकता भी तेजी से बढ़ी है। मोटे अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 217.61 प्रतिशत बढ़ी है। इसी प्रकार चावल की उत्पादकता वर्ष 1960–61 में 1013 कि. ग्रा. प्रति हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 2013–14 में 2424 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गई। इस समयावधि

में सबसे कम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता दालों की रही है वर्ष 1960–61 मे यह 539 कि.ग्रा. थी जो वर्ष 2013–14 में 764 कि.ग्रा. रही। इस प्रकार शोध समयावधि में यह 41.74 प्रतिशत बढ़ी है। इस प्रकार कुल खाद्यान्न उत्पादन (गेंहू, चावल, मोटे अनाज एवं दाल) 1960–61 में 82.02 लाख टन था जो 2013–14 में 264.77 टन हो गया।

खाद्यान्न उपजों के अंतर्गत भूमि उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन करने पर पाया कि गेंहू की उपज के अंतर्गत भूमि उपयोग में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1960–61 में यह 12.93 लाख हेक्टेयर थी जो बढ़कर 2013–14 में 31.19 लाख हेक्टेयर हो गई, इस प्रकार इस समयावधि में यह 141.22 प्रतिशत बढ़ी है। इसके साथ ही चावल की उपज के तहत भूमि उपयोग 34.13 लाख हेक्टेयर से 43.95 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार चावल की उपज के तहत भूमि उपयोग 28.77 प्रतिशत बढ़ी है। मोटे अनाज के तहत भूमि उपयोग में ऋणात्मक वृद्धि देखी गयी है दालों के उत्पादन में भूमि उपयोग में मंद गति से वृद्धि हुई है इस प्रकार कुल खाद्यान्नों उपजों (चावल गेंहू, मोटे अनाज एवं दाल) के तहत कुल भूमि उपयोग 115.58 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 26.04 लाख हेक्टेयर हो गई। जनसंख्या वृद्धि एवं सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिरूपों का अध्ययन करने पर पाया कि शोध समयावधि में जनसंख्या 184.10 प्रतिशत बढ़ी है, दूसरी ओर सकल घरेलू उत्पाद 61327. 69 प्रतिशत बढ़ा है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जहां एक ओर कुल खाद्यान्न उत्पादन 222.81 प्रतिशत बढ़ा हैं वहीं जनसंख्या 184.10 प्रतिशत बढ़ी है।

प्रस्तावनाः

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आए हैं। नई आर्थिक नीति (1991) के उपरान्त आर्थिक संरचना में तेजी से बदलाव आए हैं, जहॉ एक ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारम्भिक समयावधि में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, दूसरी ओर रोजगार सृजन में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करता रहा है, किन्तु सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र की अनदेखी के कारण अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगातार वर्ष दर वर्ष कम होता जा रहा है। साथ ही अदृश्य बेरोजगारी भी देखने को मिल रही है। तेजी से बढ. रही जनसंख्या के कारण भूमि स्वामित्व में भी निरन्तर कमी आ रही है तथा लघु आकार की जोतों में वृद्धि हो रही है। कृषि क्षेत्र में निरन्तर जोतों का छोटा आकार होता जा रहा है जिसके कारण उत्पादकता में कमी आ रही है, दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र उत्पादकता में भी कमी आयी है कृषि क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा कृषि तकनीकों एवं खाद–बीज के लिए अधिकाधिक अनुदान प्रदान किया गया है ताकि उपरोक्त प्रभावों को कम किया जा सके तथा बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नई आर्थिक नीति तहत निजीकरण तथा बाजारीकरण की नीतियों के तहत निवेशकों के द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश किया गया जिसके कारण खाद–बीज तथा कृषि यंत्रों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। एक ओर

जलवायु परिवर्तन तथा दूसरी ओर खाद–बीज की कीमतों में वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

दूसरी ओर नई आर्थिक नीति के उपरान्त अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं आर्थिक गतिविधियों में सेवा क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ रही है तथा अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन के रूप में कार्य कर रहा है, इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी कृषि क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा है।

वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तरों पर कृषि क्षेत्र के महत्व पर अनेंक शोध कार्य किए गए हैं, जिनमें चन्द एवं चौहान (1999) ने भारतवर्ष में कृषि एवं गैर–कृषि क्षेत्रों में आय वितरण का विश्लेषण किया है एवं पाया कि कृषि एवं गैर–कृषि क्षेत्रों में आय वितरण की विषमता में वृद्धि हुई है।गुलिन एवं अन्य (2002) ने विकसित देशों में कृषि एवं गैर–कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार एवं उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसमें पाया कि विकसित देशों में कृषि क्षेत्र से गैर–कृषि क्षेत्र विशेषकर निर्माणी क्षेत्र में कृषि श्रमिकों का पलायन तेजी से हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आय में तेजी से वृद्धि हुई है। ड्रीज (2006) ने भारतवर्ष में अनाज उत्पादन के प्रतिरूपों के वृद्धि का आंकलन किया है, जो 2001 से 2010–11 तक की समयावधि तक का है। उपरोक्त समयावधि में तीन राज्यों में कृषि उत्पादन की वृद्धिदर का अध्ययन किया है। इसके साथ ही भारत वर्ष में कृषि क्षेत्र की उपयोगिता, कृषि उत्पादन के प्रतिरूप तथा अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान तथा महत्व पर अनेंक शोध कार्य हुए हैं। जिनमें (चंद एवं अन्य 2007, बालकृष्णन् 2000, भल्ला एवं सिंह 2009, रेड्डी एवं मिश्रा 2009 तथा विद्यानाथन 2010) प्रमुख हैं।

शोध की सीमाएं, आंकड़ों के स्त्रोत एवं शोध प्रविधिः

प्रस्तुत शोध वर्ष 1960–61 से 2013–14 तक की समयावधि का है। जो उक्त समयावधि में संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू होता है, इसके साथ ही प्रस्तुत शोध में कृषि उपज जिनमें चावल, गेंहू, मोटे अनाज तथा दालों को सम्मिलित किया है, जो मुख्यतयाः उत्पादित की जाती है। प्रस्तुत शोध के निष्कर्षो के लिए द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्य खाद्यान्न फसलों (चावल, गेंहू, मोटे अनाज तथा दालों) को सम्मिलित किया गया है।

भूमि उपयोग के लिए कुल बुवाई क्षेत्र, सकल बुवाई क्षेत्र शुद्ध सिंचित क्षेत्र तथा सकल सिंचित क्षेत्र के चरों का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न उपजों के तहत भूमि उपयोग के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त द्वितीयक आंकड़ों का प्रकाशन संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किया गया है। शोध निष्कर्षों के लिए प्रतिशत हिस्सा एवं वृद्धिदर तकनीकों का प्रयोग किया गया है।

शोध का उद्देश्यः

प्रस्तुत शोध खाद्यान्न उत्पादन एवं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों पर आधारित है, साथ ही वर्षा, भूमि उपयोग के प्रतिरूपों की व्याख्या करता है। शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

(1) भारत वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन के प्रतिरूपों का विश्लेषण करना,

(2) भारत वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन के अन्तर्गत भूमि उपयोग के प्रतिरूपों का विश्लेषण करना,

(3) भारत वर्ष में प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन एवं जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूपों का विश्लेषण करना।

खाद्यान्न उत्पादन के प्रतिरूप 1960–61 / 2013–14:

भारत वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन के प्रतिरूपों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 1960–61 में चावल का उत्पादन 34.58 टन था, जो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक है। इसके साथ ही मोटे अनाज एवं दालों का उत्पादन दूसरी प्रमुख उपज रहे हैं। चावल के उत्पादन में 1980–81 से 1990–91 की समयावधि में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गयी है। इसी प्रकार गेंहू के उत्पादन की वृद्धि दर 2000–01 से 2010–11 की समयावधि में सर्वाधिक रही है। इसी समयावधि में मोटे अनाज के उत्पादन की वृद्धि दर अन्य समयावधि की तुलना में अधिक रही है। साथ ही दालों के उत्पादन की सामान्य वृद्धि दर भी इस समयावधि में दर्ज की गयी है।

भारत वर्ष में चावल एवं गेंहू के उत्पादन में 1969–61 से 2013–14 तक की समयावधि में लगातार वृद्धि होती रही है। जहाँ चावल का उत्पादन 1960–61 में 34.58 लाख टन था वह बढ़कर 2013–14 में 106.54 लाख टन हो गया, इसके साथ ही इस समयावधि में गेंहू का उत्पादन 11.00 लाख टन से बढ़कर 95.91 लाख टन हो गया। इसी समयावधि में दालें एवं मोटे अनाज के उत्पादन में सामान्य वृद्धि देखी गयी, साथ ही कई समयावधि में नकारात्मक वृद्धि की दर्ज की गयी है।

भूमि उपयोग के प्रतिरूपः

(अ) शुद्व बुवाई का क्षेत्र, शुद्व सिंचित क्षेत्र तथा सकल बुवाई क्षेत्रः

भारत वर्ष में भूमि उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 1960–61 में शुद्व बुवाई का क्षेत्र 133.20 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 1990–91 में बढ़कर 143.00 लाख हेक्टेयर हो गया, चूंकि वर्ष 2010–11 में घटकर 141.58 लाख हेक्टेयर रह गया। इसी प्रकार सकल बुवाई क्षेत्र जो वर्ष 1960–61 में 152.77 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1990–91 में 185.745 लाख हेक्टेयर है तथा 2010–11 में 198.97 लाख हेक्टेयर हो गया। इसके साथ ही शुद्व सिंचित क्षेत्र जो 24.66 लाख हेक्टेयर था वह 1990–91 में 48.02 लाख हेक्टेयर तथा 2010–11 में 63.60 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2010–11 में 89.36 लाख हेक्टेयर हो गया।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कह सकते हैं कि वर्ष 1960–61 से 2010–11 तक की समयावधि में सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गयी, इसके साथ ही शुद्व सिंचित क्षेत्र में 61.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ब) खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत भूमि उपयोगः

भारत वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन के अन्तर्गत भूमि उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 1960–61 में चावल की उपज के अन्तर्गत 34.13 लाख हेक्टेयर भूमि उपयोग थी जो 1990–91 में 42.69 लाख हेक्टेयर तथा 2013–14 में बढ़कर 43.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र चावल की खेती के तहत प्रयुक्त थी। गेंहू की उपज के तहत क्षेत्रफल वर्ष 1960–61 में 12.93 लाख हेक्टेयर था जो 1990–91 में 24.17 लाख हेक्टेयर तथा 2013–14 में बढ़कर 31.19 लाख हेक्टेयर हो गया। मोटे अनाज के तहत क्षेत्रफल 1960–61 में 44.96 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 1960–61 में 36.32 लाख हेक्टेयर तथा 2013–14 में पुनः घटकर 25.67 लाख हेक्टेयर रह गया। इसी प्रकार दालों की उपज के तहत क्षेत्रफल 1960–61 में 115.58 लाख हेक्टेयर था जो 1990–91 में 127.84 लाख हेक्टेयर तथा 2013–14 में घटकर 126.04 लाख हेक्टेयर रह गया।

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1960–61 से 2013–14 तक की समयावधि में गेंहू की उपज के तहत क्षेत्रफल में अत्यधिक वृद्वि (141º22 :) हुई है। चावल की उपज के तहत क्षेत्रफल में भी वृद्वि दर (28.77 :) उच्च रही है। इसके साथ ही मोटे अनाजों (ज्वार, बाजरा एवं मक्का) की उपज के तहत क्षेत्रफल में अत्यधिक कमी आयी है तथा इसमें (–42º90 :) की ऋणात्मक वृद्वि दर दर्ज की गयी। इस प्रकार कुल अनाजों (चावल, गेंहू, ज्वार, बाजरा, मक्का एवं दालों) की उपज के तहत भूमि उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसमें 9.05 प्रतिशत की वृद्वि हुई।

(स) प्रति हेक्टेयर अनाज उत्पादन के प्रतिरूपः

प्रति हेक्टेयर अनाज उत्पादन के प्रतिरूपों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 1960–61 में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन 1013 कि.ग्रा. था जो बढ़कर वर्ष 2013–14 में 2424 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन में 139.28 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। वर्ष 1960–61 से 2013–14 तक की समयावधि में खाद्यान्न फसलों के तहत सर्वाधिक वृद्वि गेंहू के उत्पादन में हुई है। जो वर्ष 1960–61 में प्रति हेक्टेयर 851 कि.ग्रा. था वह बढ़कर 2013–14 में 3075 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार गेंहू के उत्पादन में अधिक वृद्वि देखने को मिली साथ ही मोटे अनाज के उत्पादन की वृद्वि दूसरे स्थान पर रही है जो 528 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर से वर्ष 2013–14 में 1677 किग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गया। इसी के साथ दालों के उत्पादन प्रति हेक्टेयर में भी वृद्वि देखने में मिली है।

निष्कर्षः–

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत वर्ष में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन एवं भूमि उपयोग की प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इन प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उपयुक्त होगा कि गेंहू का उत्पादन तथा उत्पादकता में अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में अधिक वृद्वि हुई है, साथ ही गेंहू की उपज के तहत क्षेत्रफल में भी वृद्वि हुई है। अन्य उपजों के अन्तर्गत

भूमि उपयोग में आश्चर्यजनक रूप में कमी आयी है। भूमि उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सकल सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसके साथ ही शुद्व सिंचित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है।

भारत वर्ष में खाद्य अनाज उत्पादन के प्रतिरूप का अध्ययन

स्त्रोतः कृषि मन्त्रालय भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2013–2014
www.reservebankofindiahandbookof **statistics**

भारत वर्ष में खाद्य अनाज उत्पादन के प्रतिरूप का अध्ययन

भारत वर्ष में प्रति हेक्टेयर खाद्य अनाज उत्पादन के प्रतिरूप

स्त्रोतः कृषि मन्त्रालय भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2013–2014
www.reservebankofindiahandbookof **statistic**

भारत वर्ष में प्रति हेक्टेयर खाद्य अनाज उत्पादन के प्रतिरूप

भारत वर्ष में भूमि उपयोग के प्रतिरूप

स्त्रोतः कृषि मन्त्रालय भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2013–2014
www.reservebankofindiahandbookof **statistics**

भारत वर्ष में भूमि उपयोग के प्रतिरूप

भारत वर्ष में खाद्य अनाज उत्पादन के अन्तर्गत भूमि उपयोग

स्त्रोतः कृषि मन्त्रालय भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2013–2014
www.reservebankofindiahandbookof **statistics**

भारत वर्ष में खाद्य अनाज उत्पादन के अन्तर्गत भूमि उपयोग

भारत वर्ष में जनसंख्या एवं सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिरूप

स्त्रोतः कृषि मन्त्रालय भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2013–2014
www.reservebankofindiahandbookof **statistics**

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

(1) Ahmad, Dr. MD. Firdos, (2012), "The Performance of India's Food Grains Production: A Pre & Post Reform Assessment", International Journal of Scientific Publication, Vol. 2, PP. 1-15 (www.ijsrp.org)

(2) Chand, Ramesh, S.S. Raju & L.M. Pandey, (2007), "Growth Crisis in Agriculture, Severity and Option at National and State Level" EPW, 42(26), PP. 2528-2533.

(3) Balakrishnan, Pulapre (2000), "Agriculture and Economic Reforms: Growth and Welfare", EPW 35(12), PP. 999-1004.

(4) Bhalla, G.S. & Gurmail Singh, (2009), "Economic Liberalsation and Indian Agriculture: A Statewise Analysis", EPW 44(52), PP. 34-44.

(5) Reddy, D.Narasimha & SrijitMishra, (2009), "Agriculture in the Reform regions", New Delhi Oxford University Press.

(6) Vidhya Nathan A., (2010), "Agriculture Growth in India Role of Technology: Incentives and Institutions A Review Article Indian Economic Review 27 (2).

(7) Dreze, J., Sen, A.K. and Hussain, A., (2006), "The Political Economy of

Hunger", Oxford India paperbacks.
(8) Bansil, P.C., (1996), "India's Demands for Foodgrains in 2000 A.D: Simple Incremental Demand Model", Indian Farming, Februry: 30-32.
(9) Balla, G.S., and P. Hazell, (1997), "Foodgrains Demand in Indian to 2020: A Preliminary Exercise", Economic and Political Weekly, Vol. 32(52), PP. A150-A154
(10) Dev, Mahendra S., (1987), "Growth and Instability in Foodgrains Production: An Interstate Analysis", Economic and Political Weekly, Vol. 22, No. 39, Sep. 26, PP. A82-A92.

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

सामाजिक बदलाव की मिसाल बने महिला स्वसहायता समूह

धनंजय बर्लिंगे
शोध छात्र समाज शास्त्र विभाग
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल

विषय चर्चा– झाबुआ के नवापाड़ा ग्राम में महिला संगठन के माध्यम से लागू शराबबंदी ने स्वंय सहायता समूहों की सामाजिक जिम्मेदारियों को परिभाषित कर दिया हैं। आर्थिक आधार पर को मजबूत करने के साथ सामाजिक जिम्मेदारी की यह मिशाल जिले को एक अलग पहचान देती हैं। इसी के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एंव स्वच्छता को लेकर भी समूहों के सामूहिक नेतृत्व को समाज में सम्मान मिला हैं।

जिला – एक नजर

जिला परिचय – झाबुआ जिले 6 विकासखण्डों के 777 ग्रामों में आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 23 संकुल कार्यालयों के माध्यम से जिले में 8647 समूह का गठन कर 105000

गरीब परिवारों को समूह के दायरे में लाया गया है। समूह को जोड़कर 777 ग्राम संगठन खड़े किये गये है। अब यह संगठन आर्थिक गतिविधियों के साथ समाजिक मुददों पर बेहतर भागीदारी कर रहै है। जिले में 5615 समूहों को 745 लाख रू. का रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया गया है। सामुदायिक निवेश की निधी के रूप में 2694 समूहो को 1671 लाख रू. की राशि ग्राम संगठन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। जिनका ग्राम संगठन ने रोटेशन कर बाकी समूहों को भी लाभांवित किया है। जिले में 1157 समूहों को 173 लाख रू. का आपदाकोष प्रदान किया गया है। जिले में 7000 से अधिक परिवार मिशन के माध्यम से आजीविका गतिविधि पूर्ण कर अपने परिवार की आय को 1 लाख से अधिक कर चुके है। जिले में 300 से अधिक सीआरपी के माध्यम से मिशन का सामुदायिककरण प्रक्रिया जारी है। जिले में महिला समूहों ने आर्थिक गतिविधि से उपर उठकर सामा. जिक बदलाव से बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किये है। इसके तहत रामा विकासखण्ड के नवापाड़ा ग्राम में शराब बन्दी जैसे सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहे है।

बंधक छुड़ाने वाले परिवारः—जिले में महिलाओं द्वारा समूह से ऋण लेकर अपनी गिरवी रखी जमीन एवं जेवर छुड़ाने का कार्य किया गया है। जिले में 1200 परिवारों ने समूह से ऋण लेकर अपने जेवर एवं बंधक जमीन को मुक्त कराया है। इस कार्य से जहां महिलाओं की संपत्ति बंधक मुक्त हुई है, वही कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होने के साथ परिवार में उनका सम्मान बढ़ा है। वहीं साह.

ूकारों पर अब परिवारों की निर्भरता खत्म हो रही है।

लखपति परिवारः—मिशन की मंशा अनुरूप कृषि एव गैरकृषि कार्यो के माध्यम से समूह महिलाओं ने अपनी आय को बढ़ाया है। 7500 परिवारों ने कृषि के साथ दूसरी उपगतिविधि अपनाकर अपनी आय को प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक कर लिया है। इसके अलावा रोजगार मूलक प्रशिक्षण के माध्यम से भी कई बेरोजगार युवा अपनी आय को 1 लाख से अधिक कर चुके है।

सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावाः—जिले में व्यक्गित गतिविधियों से उपर उठकर अब परिवार सामूहिक आय अर्जित गतिविधि पर भी जोर दे रहे है। इसके तहत डेयरी, मुर्गी पालन,मछली पालन, फूल उत्पादन, अनार उत्पादन जैसी गतिविधियां सामने आई है। जिले में आजीविका गतिविधियों हेतु 6 क्लस्टर निर्माण किया गया है, रामा विकासखण्ड में मुर्गी क्लस्टर, पेटलावद विकासखण्ड में डेयरी क्लस्टर विकसित किया गया है। इसके अलावा झाबुआ में सेनेटरी नेपकिन क्लस्टर एंव थांदला में सब्जी उत्पादन क्लस्टर का विकास किया जा रहा है।

रोजगार मूलक कार्यक्रम :— जिले में बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान कर लाभांवित करने के प्रयास जारी है। जिले में गठित ग्राम संगठनों द्वारा बेरोजगार युवको का तीन वर्गो में चिन्हाकंन कर रोजगार समिति के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। इसके तहत जिले में रोजगार मेले आयोजित कर 4362 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आर सेटी के माध्यम से 2886 युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार पहल की गई है। रोजगार आधारित प्रशिक्षण देकर 805 युवाओं को विभिन्न कम्पनियों में रोजगार से जोड़ा गया है। प्रशिक्षित युवाओं को बैंक से ऋण उपलब्ध कराते हुये व्यवसाय स्थापित करने की दिशा में पहल की गई है। इसके अतिरिक्त मिशन अन्तर्गत सीधे तौर पर आर्थिक कल्याण योजना से 00 एवं स्वरोजगार योजना से 00 परिवारों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

वाशिंग पावडर से आजीविका की चमकार

झाबुआ जिले के सुतरेटी ग्राम के गंगा समूह एवं मां अम्बिका समूह की महिलाओं ने वाशिंग पावडर बनाने की गतिविधी से जुड़ कर न केवल पलायन से मुक्ति पाई है, बल्कि खाली समय का उपयोग करके 1 माह में 28000 तक का व्यवसाय कर परिवार की आय में वृद्धि की है।

थांदला संकुल के ग्राम सुतरेटी में गठित गंगा एंव मां अम्बिका स्वयं सहायता समूह की 20 महिलाओं की रूचि को देखते हुए वाशिंग पावडर निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया था। ग्राम संगठन में चर्चा के उपरांत आजीविका मिशन द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को तीन दिवस तक ग्राम में ही प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में तकनीकि प्रशिक्षण के अलावा कच्ची सामग्री क्रय करवाने के लिए इन्दौर का बाजार सर्वे एवं भ्रमण भी कराया।

मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत गठित समूह की महिलाओं ने प्रथम स्तर पर

अपने समूह से 20000 रूपये मिलाकर कच्ची सामग्री क्रय की। इन्दौर से सामग्री ला कर समूह सदस्यों ने ग्राम संगठन के माध्यम से प्रथम चरण में 1 क्विंटल एवं दूसरे चरण में 6 क्विंटल माल तैयार कर विपणन किया गया। समूह द्वारा पेकिंग के लिये भी प्रक्रिया पूर्ण कर आजीविका

सेनेटरी नेपकीन के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा।

झाबुआ के समूह की महिलाएं अब स्वयं सेनेटरी नेपकिन तैयार कर रही हैं। उनके इस नवाचार से आय के साथ समाज के प्रति उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही हैं।

आजीविका मिशन अन्तर्गत झाबुआ के समीपस्थ ग्राम आम्बाखोदरा में 17 स्वयं सहायता समूह का गठन कर 181 परिवारों को जोड़ा गया है। सभी समूहों को बैंक ऋण के माध्यम से आय अर्जक गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। इन्ही समूहों में शामिल जमुना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जब बड़वानी में समूह महिलाओं द्वारा संचालित नेपकिन यूनिट का भ्रमण करवाया गया तब इन महिलाओं ने भी सहमति जाहिर करते हुए यूनिट स्थापित करने की बात कही।

वित्तीय व्यवस्था के लिये इस समूह ने अपने महिला ग्राम संगठन से 03 लाख 60 हजार का ऋण लेकर कार्य शुरु किया हैं। इस राशि से मुम्बई की एक कम्पनी से सम्पर्क कर यूनिट हेतु मशीन एवं कच्चा माल मंगाया गया। मशीन संचालन हेतु कम्पनी के इंजीनियर द्वारा 2 दिवस का प्रशिक्षण गांव में आकर ही दिया गया । वर्तमान में 45 हजार नेपकीन तैयार करने हेतु कच्चा माल भी लिया गया। समूह की अध्यक्ष श्रीमती हकरी हुका भाबोर एवं सचिव श्रीमती कम्मा धारू भाबोर कहना है कि कच्चे माल के माध्यम से नेपकीन बनाकर मशीन चलाना सीखा एवं नेपकिन निर्माण की बारीकियों को 10 दिन तक सीखा एवं अब प्रतिदिन 350 से 400 नेपकिन बना रहै है। और भविष्य में 950 से 1000 नेपकीन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

समूह अध्यक्ष का कहना है कि संकुल के ग्राम संगठनों में जाकर महिलाओं को इसके उपयोग एवं फायदे के बारे में बताने एवं प्रत्येक ग्राम में 1–1 समूह को विक्रेता बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है एवं 10 ग्रामों में उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर आर्डर प्राप्त कर लिया है। उक्त गतिविधी को संकुल स्तरीय विस्तार देकर इसके माध्यम से 80 से 100 महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसायिक रूप से जोडा जावेगा ।

प्रयासों'' के पाईप से निकला ''खुशियों'' का पानी

झाबुआ के गोपालपुरा ग्राम की महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर सामूहिक प्रयास किये जाये तो बंजर जमीन को भी हरा किया जा सकता हैं। महिलाओं द्वारा स्वंय की बचत से डाली गई पाइप लाइन से गांव की 25 बीघा जमीन उपजाउ बन गई हैं। महिलाओं के प्रयासों के पाइप में बह रहे पानी से 17 परिवारों के चेहरों पर खुशियों की फसल को लहलहाते देखा जा सकता हैं।

मिशन अंतर्गत मेघनगर विकासखण्ड के ग्राम गोपालपुरा में 15 स्वयं सहायता समूहों का माध्यम से 170 परिवारों को जोड़ा गया हैं। मिशन अंतर्गत किये गये प्रयासों एवं उन्मुखीकरण के माध्यम से

अब महिलाएं सामुदाहिक गतिविधि कर आजीविका के संसाधनों को बेहतर करने में लगी है। इसी के तहत ग्राम की 17 महिलाओं ने अपने समूह के माध्यम से 3 पाइप लाइन बिछाकर अपने अलग अलग दिशा में फैले 25 खेतों को सिंचित कर लिया हैं। यह वह खेत है जो गत वर्ष पानी न होने के कारण बेरुखे रह गये थे।

ग्राम में गठित महिला,सीता एंव झांसी रानी महिला स्वंय सहायता समूह की 17 महिलाओं ने समूह बैठक में अपने खेत में पानी की समस्या पर चिंता जाहिर की। चर्चा में निराकरण के रुप में समूह की महिलाओं ने निर्णय लिया कि समीप से बहने वाली नदी में उपलब्ध पानी को खेतों में पहुचाकर हरियाली को बरकरार रखा जा सकता है। इस हेतु समूह की बचत एवं बैक से मिली ऋण राशि के माध्यम से योजना को अमलीय जामा पहनाने का कार्य किया गया। प्रति लाइन पर 1.80 लाख के मान से 5.40 की लागत आंकलित की गई। इस हेतु समूहों ने बैक से प्राप्त ऋण राशि के साथ स्वयं की भी राशि के उपयोग का निर्णय लिया। इस लाईन पर व्यय हुए 05 लाख 40 हजार में 04 लाख 20 हजार ऋण के माध्यम से एवं 1 लाख 20 हजार परिवारों से सीधे लेकर कार्य किया गया है। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार नदी पर लगाई गई मोटर की सुरक्षा हेतु प्रतिदिन एक सदस्य चौकीदारी करता है। पानी का वितरण भी बारी–बारी से परिवारों को किया जाता है। महिलाओ ने अपने खेत में गेहूं, मक्का, चना के अलावा सब्जी की फसल ली है। वर्तमान में इस उद्वहन सिंचाई सिस्टम के माध्यम से 17 परिवारों की 25 बीघा जमीन सिंचित हो रही है। जिसके माध्यम से प्रति परिवार को हाल के 3 माह में 20 से 50 हजार की अतिरिक्त आय हुई हैं।

प्रयासों के हाथों से संवरती 'आजीविका' की चूड़ी

झाबुआ जिले के मानपुरा की श्रीमती किरण ने समूह से जुड़ कर न केवल पलायन से मुक्ति पाई है, बल्कि हाथों को हुनरमंद बनाकर परिवार की आय में इजाफा कर दिया हैं। श्रीमती किरण उन 8 महिलाओं में शामिल है जिन्होने चूड़ी एवं कड़ा निर्माण कार्य का प्रशिक्षण लेकर विक्रय कार्य प्रारम्भ किया है।

कल्याणपुरा के ग्राम मानपुरा में गठित लक्ष्मी एंव संतोष स्वयं सहायता समूह की 8 महिलाओं की रूचि को देखते हुए चूड़ी एवं कड़ा निर्माण का प्रशिक्षण किया गया था। हेंड इन हेंड संस्था के समन्वय से आयोजित इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को तीन दिवस तक ग्राम में ही प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान तकनीकि प्रशिक्षण के अलावा कच्ची समाग्री क्रय करवाने के लिए इन्दौर का भ्रमण भी कराया। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत गठित समूह की महिलाओं ने प्रथम स्तर पर अपने समूह से 2000 का ऋण एवं स्वयं के 500 रूपये मिलाकर कच्ची सामग्री क्रय की। इन्दौर से सामग्री ला कर श्रीमती सन्नू बलवन्त, श्रीमती राजू दिलीप, श्रीमती सन्नू तोलसिंह, श्रीमती सुनिता राजेश, श्रीमती किरण अशोक, एवं श्रीमती कांता बलवन ने अपने अपने घरों में कार्य प्रारम्भ किया है।

निर्माण में संलग्न श्रीमति किरण अशोक, श्रीमति सन्नू तोलसिंग, श्रीमति कान्ता बलराम ने शुरुआत

में ही 10 से लेकर 15 हजार की चूड़ी तैयार कर लाभ कमाया हैं। अपने उत्पाद की बिक्री के लिये इन महिलाओं ने समूह की एंव गांव की महिलाओं को लक्षित किया। सभी महिलाओं ने नियमित काम से समय निकाल कर इस व्यवसाय को अपनाया हैं। यह महिलाएं घर से ही व्यवसाय संचा. लित कर रही हैं। अब आसपास के गॉव की महिलाएं भी शादी के लिये कड़े और चूड़ी के आर्डर देने आ रही हैं। इस कार्य में अब पति भी मदद करने लगे हैं। श्रीमति किरण अशोक ने व्यवसाय को बढ़ाने के लिये स्थाई दुकान खोलने गुमटी तैयार करवाई हैं। इसमें वह जिसमें किराना सामग्री का भी विक्रय करेगी। खाली समय का सद्उपयोग महिलाओं ने जिस तरह इस कार्य को आगे बढ़ाया है उससे लगता है कि भविष्य में यह व्यवसाय परिवार की आय कर मुख्य आधार साबित होगा।

संदर्भ–

चौधरी एस.एन.,मिश्रा व शर्मा (2013) आदिवासी ग्रामों में टिकउ विकास का यर्थात्,नई दिल्लीः कन्सेप्ट पब्लिकेशन कम्पनी,पृ. 95–97.

मेहरा,रीतू (2015) स्वयं सहायता समूहों की महिला सशक्तिकरण में भूमिका,भोपाल नवीन सामा. जिक शोध अंक–5,पृ. 46–53.

Namboodiri, N.V.and R.L.shiyani (2001) Working and Impact of Rural self-Helf Groups in Rural Fincial deepening,indian journal of agriculture Econimc,Vol,56 No.3,July-September.

How solar energy powers economic growth

Ku. Poonam Gurjar
Department of Economics
Research scholar devi ahilya bai vishv visdyalaye indor

OUR SUN2GRID CLEAN ENERGY APPROACH SUPPORTS NATIONAL ECONOMIES

A stable energy sector is one of the most essential requirements for successful economic development and growth. Whilst in almost all countries in Europe or North America, the energy infrastructure is well developed, many other regions of the world have to deal with severe challenges in this area. In Africa, two-thirds of the continent's population lack access to electricity.

The reason for this energy crisis consists in particular in the rising electric power consumption per capita and the increasing gap between the growth of population, which was by 2.9% annually over the last 25 years, and the grid extension rate of only 2.7% over the same period.

On the African continent, the lack of power and the dependence on cost-expensive backup solutions represent a heavy burden for all the economic sectors, which contributes to slowing down the rate of growth. Considering the abundant natural resources in Africa and the increasingly dropping prices of components, solar energy installations represent a unique opportunity to face the burgeoning energy demand. However, establishing a renewable energy sector is challenging in sub-Saharan Africa since creditworthy power buyers are missing and the national governments struggle to cover the power purchase obligations of the local utilities.

In order to accelerate the renewable energy expansion and to attend to the growing energy requirements, successful clean energy projects have to be initiated to attract

foreign investors. Through the realisation of several project approaches, we aim to support national economies worldwide to facilitate and spur economic growth, and contribute to meet the huge energy demand.

Today, energy production and benefit accounting for two third of the world's greenhouse-gas emissions GHG , there has been global works towards shifting the available fossil fuel based energy systems to low-carbon technologies, including renewable energy technologies (RET) like solar, wind, hydro and biomass. International Energy Agency (IEA) has measured that towards limiting the temperature rise to two degree centigrade (450 ppm, or, ppm scenario by 2050) , the total installed capacity of renewable energy sources for electricity production needs to be augmented 3770 GW by 2035. This shall require annual investments of over US $550 billion in climate change mitigation and adjustment technology .

India is the fourth largest energy consumer in the world after the United States, China and Russia . As of March 2013, the per capita total electricity waster in India was 917.2 kWh . Electricity waster in India is expected to rise to around 2280 Bkwh by 2021-22 and around 4500BkWh by 2031-32 . India's energy waster has been increasing comparatively fast rate due to increase in population and living standard as well. Current centralized energy planning of India is mainly dependent on thermal power plant for energy need and its percentage share is near about 70% of total installed capacity of power plant.

The reasons for according renewable energy may vary in case of developed and developing economies. Developed nations are promoting clean energy technologies due to their heightened sensitivity towards the environment and being mandated under the various international climate conventions like the United Nations Framework on Climate Change, or, UNFCCC [16]. On the other hand, the reasons for developing economies to advocate renew able energy technologies include enhancement of their energy security (reduction in energy imports), besides bridging the energy de?cit and enabling energy access to the masses through decentralized systems in form of lifeline energy services like cleaner forms of basic lighting devices (solar lanterns) and cooking systems (biogas plants).

5 ways to use solar power to drive socio-economic growth

More on the agenda

Our Impact

Accelerating climate action
Our impact
Explore context
Innovation

Explore the latest strategic trends, research and analysis
For the last 10 years, business models for decentralized electrification have been taking a big leap towards forming a scalable, profitable industry. In 2016 alone, the Global Off-Grid Lighting Association (GOGLA - the largest industry association in this field) has reported about 8 million products sold. This equals about 8 million end-users to purchase a solar product and therefore take a step towards more reliable, clean and climate-friendly use of a power source. Most GOGLA members are currently active in sub-Saharan Africa or South-East Asia. When entering a rather financially or politically risky market in these regions, there are a few hints to be considered to make your idea successful.

Step 1: Tackle skepticism and create awareness of solar technology

Over the past few years, an increasing number of international companies has accelerated their activities in decentralized solar electrification in developing and emerging markets all over the world, with clusters located particularly in India and East Africa.

In these regions, the first challenge of creating trust in a new technology that brings power and light into one's home has been largely overcome - at least when looking at growth rates and sales in the industry. Nevertheless, this whole sector relies largely on word-of-mouth marketing. There's no better marketing than friends and family recommending your product to their peers. Trust in quality might be a factor, but many potential end-users need to see the actual impact on daily life first before investing a share of their wallet into these products that come in a vast variety, with high and low prices, good and bad quality.

It's not easy for companies to tackle the barrier that they face with all the copy-cats and low-quality products that are being distributed without any international certification or standard. This is where companies join forces and try to convince multinational organizations and local governments to acknowledge the threat

imposed by those products. Agreements on certain terms for import and quality standards that industry players need to adhere to are necessary to protect consumers and the market as a whole.

Step 2: Accompany customers in stepping up the energy ladder

There are various niches in the off-grid solar industry - and as a company, you need to find your way into what's most attractive to you. The majority of companies start off with smaller products, focusing largely on the very base of the pyramid where donor interest accumulates because end-users in that segment supposedly have rarely any financial resources to spend on lighting.

But with a growing market and many new players entering, one can see a shift towards larger products and broader services. With more capacity (i.e. larger panels, batteries that are more powerful) clients can purchase more lights, bigger appliances, long-term service.

Ideally, one can see customers shift from smaller products to larger ones during their lifetime. Same as with phones or TVs, once you have the basic version, the desire to have more rises. That's why an increasing number of companies offer TVs, larger phone chargers, better quality. In order to understand the shifts that users take and the various models that are being offered, actors like the World Bank spend time and resources on developing detailed insights in e.g. their Multi-Tier Framework for Electrification. It helps understand the steps on the energy ladder.

Step 3: Innovate your products

Once you've established yourself as a company, you most likely start thinking about what to offer next. As described above, product portfolios might grow, diversification comes into play, more desires and needs are being expressed by your customers.

At Mobisol, innovation is primarily based on feedback expressed by our clients. Frequent contact and conversations help us understand what's most attractive. And the most attractive is very often something that helps uplift the customers' standard of living.

Which is where we perceive our impact: at the beginning of the energy ladder, it's all about lighting. Which is the first necessary step - a family comes togeth-

er in the evening, phones can be charged, communication is easier, and children can do their homework after dark.

After that, there's more needs to be covered: security lights and alarm systems outside the houses giving the parents a feeling of improved safety, small business men and women wanting to foster their income stream with high-quality productive-use appliances and smart technologies.

Pay-as-you-go backs the micro-financing aspect that is largely applying to the larger and newer products in the industry, where even barbershops open in remote areas, with DC-powered haircutters and lights, financed over a few years and paid off via mobile banking. Flexibility and curiosity is key, involve your customers and you will find out easily how to improve their lives whilst growing your business.

Step 4: Offer productive-use appliances

As mentioned before, productive-use appliances are an easy argument for the solar off-grid industry, helping customers earn incremental income which then facilitates repayment of their products. The power of solar energy has not even begun to be exhausted. Just recently, solar welding has been tested by Mobisol, combining solar components to an 800W working station. Scaling this idea would not only profit some families, it would build local economies, help utilize the rural youth workforce which is still underemployed in various regions in sub-Saharan Africa.

Access to energy facilitates business, and will do so if more off-grid DC appliances are being developed and distributed in an affordable and high-quality manner. Communities will become independent of the central grid extension that they have been waiting for during the past and share knowledge on how to improve local business performance with the right products.

Step 5: Foster new, climate-friendly products and markets

Technology and innovation is just now starting to take off. There is so much more to be developed in the decentralized electrification market. Components will soon be produced locally, and spare parts printed in 3D which will promote local jobs and develop entirely new markets.

Universities are initiating courses on renewables and policymakers are acknowledging the potential of the sector, fostering off-grid solutions in their regulations. The DC appliance market is growing, with yearly buyer's guides coming out listing the high-potential products that are expected to revolutionize the way we think about electronic consumer goods.

Sub-Saharan Africa has the potential to leapfrog not only fixed lines, conventional bank accounts and grid electrification - it will hopefully overcome climate-negative technologies and pioneer in energy efficient use of products and power consumption, thereby triggering economies of scale and exporting DC technologies and products to other parts of the world one day.

References

[1] CEA, Load Generation Balance report 2014-15.

[2] Current trends/status in solar power market, workshop on challenges and issues in solar RPO compliance/RECs. Hyderabad; May 23, 2013.

[3] Desert Power India 2050. Integrated plan for desert power development. December. Gurgoan: Power Grid Corporation Limited; 2013. (conference Paper)

[4] Dincer I, Energy and environmental impacts: present and future perspec tives. 1998 (Book)

[5] Energy and Climate Change. World Energy Outlook Special Report. International Energy Agency; 2015. (Book)

[6] Energy Sources A: Recover Utile Environ Evaluating policies in support of the deployment of renewable power. IRENA Policy Brief. The International Renewable Energy Agency; 2012. (Book chapter)

[7] Executive Summary Power Sector. Central Electricity Authority. Ministry of Power, Government of India; May 2015. (Book)

[8] Garg, P. Energy Scenario and Vision 2020 in India. JSustain Energy Environ 2012; 3: 7-17. (Book)

[9] Growth of electricity sector in India from 1947-2013. Central Electricity Authority, Ministry of Power: Government of India; 2013. (Book)

[10] http://cleantechnica.com/2014/09/24/550-billion-per-year-investment-

renewable-energy-needed-meet-climate-change-goals/; MridulChadha [accessed 18.08.15].

[11] http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity sector in India.

[12] http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear power in India.

[13] http://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/policy_programme_wise.htm; Ministry of New and Renewable Energy, Government of India [accessed 18.08.15].

Letter of credit National And International

Dr.Rahul Jain
Research scholar -
Dept.Commerce
Barkutullah University,Bhopal

Dr. Girish Surjan
H.O.D Management Department
in st.mary's P.G college
Vidisha (m.p)

A letter of credit (LC), also known as a documentary credit, bankers commercial credit, is a payment mechanism used in international trade to perform the same economic function as a guarantee, by allocating risk undertaken by contracting parties. At law, a letter of credit is categorised within Financial law as a form of a Simple position, which alongside guarantees, derivatives, and insuranceallocate risk as a form of a promise from one party to another.

A letter of credit primarily achieves this by creating a written commitment from a bank on behalf of one party that payment be made to a third-party, provided that the terms and conditions stated therein have been met. Any documents tendered which are outlined in the letter of credit, the third party will be paid by the bank.A letter of credit is extremely common within international trade and goods delivery, where the reliability of contracting parties cannot be readily and easily determined. Its economic effect is to introduce a bank as underwriting the credit risk of the buyer paying the seller for goods.

In doing so, it plays a central role in international trade by relying upon the dependability of financial institutions and their ability to pay. Crucial to a letter of credit is the beneficiary's (the seller) attempt to isolate itself from the credit risk of the buyer. That is to say, it is concerned primarily with the ability of the buyer to pay for the goods.

How a Letter of Credit Works

Protection for Payments

A letter of credit is a document from a bank that guarantees payment. There are sev-

eral types of letters of credit, and they provide security when buying and selling.

" Seller protection: If a buyer fails to pay a seller, the bank that issued a letter of credit will pay the seller if the seller meets all of the requirements in the letter. This provides security when the buyer and seller are in different countries.

" Buyer protection: Letters of credit can also protect buyers. If you pay somebody to provide a product or service and they fail to deliver, you might be able to get paid using a standby letter of credit. That payment can be a penalty to the company that was unable to perform, and it's similar to a refund, allowing you to pay somebody else to provide the product or service needed.

If you're familiar with escrow services, the concept is similar: Banks act as "disinterested" third parties (they don't take anybody's side), and they release funds only after certain conditions are met. Letters of credit are common in international trade, but they are also used in domestic transactions like as construction projects.

The Money Behind a Letter of Credit

A bank promises to pay on behalf of a customer, but where does the money come from?

The bank will only issue a letter of credit if the bank is confident that the buyer will pay. Some buyers have to pay the bank up front or allow the bank to freeze funds held at the bank. Others use a line of credit with the bank, effectively getting a loan from the bank.

Sellers must trust that the bank issuing the letter of credit is legitimate and that the bank will pay as agreed. If sellers have any doubts, they can use a "confirmed" letter of credit, which means that another (presumably more trustworthy) bank will guarantee payment.

Sellers typically get letters of credit confirmed by banks in their home country.

When Does Payment Happen?

A beneficiary only gets paid after performing specific actions and meeting the requirements spelled out in a letter of credit.

For international trade, the seller may have to deliver merchandise to a shipyard to satisfy the requirements of the letter of credit. Once the merchandise is delivered, the seller receives documentation proving that he made delivery, and the documents are forwarded to the bank. In many cases, the letter of credit now must be paid-even

if something happens to the shipment. If a crane falls on the merchandise or the ship sinks, it's not necessarily the seller's problem.

Documents matter: To approve payment on a letter of credit, banks simply review documents proving that a seller performed any required actions.

The bank is not concerned with the quality of goods or other items that may be important to the buyer and seller. That doesn't necessarily mean that sellers can send a shipment of junk: Buyers can insist on an inspection certificate as part of the deal, which allows somebody to review the shipment and ensure that everything is acceptable.

For a "performance" transaction, a beneficiary (the buyer, or whoever will receive the payment) might have to prove that somebody failed to do something. For example, a city might hire a contractor to complete a building project. If the project is not completed on time (and a standby letter of credit is used), the city can show the bank that the contractor did not meet his obligations. As a result, the bank will pay the city. That payment compensates the city and makes it easier to hire an alternative contractor to finish the work.

What Can Go Wrong?

Letters of credit make it possible to reduce risk while continuing to do business. They are important and helpful tools, but they only work when you get all of the details right. A minor mistake or delay can wipe out all of the benefits of a letter of credit.

If you rely on a letter of credit to receive payment, make sure you:

" Carefully review all requirements for the letter of credit before agreeing to any deal.

" Understand all of the documents required. If you don't know what something is, ask your bank.

" Will truly be able to get all of the necessary documents for the letter of credit.

" Understand the time limits associated with the letter of credit, and whether or not they are reasonable.

" Know how quickly your service providers (shippers, etc.) will produce documents for you.

" Can get the documents to the bank on time.

" Make all documents required by the letter of credit match the letter of credit application exactly. Even typographical errors or common substitutions can cause problems.

" Main types of LC

" Due to frequent usage within the international collaboration, the names of LC types are given in English as well

" 1. Irrevocable LC. This LC cannot be cancelled or modified without consent of the beneficiary (Seller). This LC reflects absolute liability of the Bank (issuer) to the other party.

" 2. Revocable LC. This LC type can be cancelled or modified by the Bank (issuer) at the customer's instructions without prior agreement of the beneficiary (Seller). The Bank will not have any liabilities to the beneficiary after revocation of the LC.

" 3. Stand-by LC. This LC is closer to the bank guarantee and gives more flexible collaboration opportunity to Seller and Buyer. The Bank will honour the LC when the Buyer fails to fulfill payment liabilities to Seller.

" 4. Confirmed LC. In addition to the Bank guarantee of the LC issuer, this LC type is confirmed by the Seller's bank or any other bank. Irrespective to the payment by the Bank issuing the LC (issuer), the Bank confirming the LC is liable for performance of obligations.

" 5. Unconfirmed LC. Only the Bank issuing the LC will be liable for payment of this LC.

" 6. Transferable LC. This LC enables the Seller to assign part of the letter of credit to other party(ies). This LC is especially beneficial in those cases when the Seller is not a sole manufacturer of the goods and purchases some parts from other parties, as it eliminates the necessity of opening several LC's for other parties.

" 7. Back-to-Back LC. This LC type considers issuing the second LC on the basis of the first letter of credit. LC is opened in favor of intermediary as per the Buyer's instructions and on the basis of this LC and instructions of the intermediary a new LC is opened in favor of Seller of the goods.

" 8. Payment at Sight LC. According to this LC, payment is made to the seller immediately (maximum within 7 days) after the required documents have been submitted.

" 9. Deferred Payment LC. According to this LC the payment to the seller is not made when the documents are submitted, but instead at a later period defined in the letter of credit. In most cases the payment in favor of Seller under this LC is made upon receipt of goods by the Buyer.

" 10. Red Clause LC. The seller can request an advance for an agreed amount of the LC before shipment of goods and submittal of required documents. This red clause is so termed because it is usually printed in red on the document to draw attention to "advance payment" term of the credit.

Letter of Credit Lingo

To better understand letters of credit, it helps to know the terminology.

Applicant: The party who requests the letter of credit. This is the person or company that will pay the beneficiary. The applicant is typically (but not always) an importer or buyer who uses the letter of credit to make a purchase.

Beneficiary: The party who receives payment. This is usually a seller or exporter who has requested that the applicant use a letter of credit (because the beneficiary wants more security).

Issuing bank: The bank that creates or issues the letter of credit at the applicant's request. It is typically a bank where the applicant already does business (in the applicant's home country, where the applicant has an account or a line of credit).

Negotiating bank: The bank that works with the beneficiary. This bank is generally located in the beneficiary's home country, and may be a bank where the beneficiary already conducts business. The beneficiary will submit documents to the negotiating bank, and the negotiating bank acts as a liaison between the beneficiary and other banks involved.

Confirming bank: A bank that "guarantees" payment to the beneficiary as long as the requirements in the letter of credit are met. The issuing bank already guarantees payment, but the beneficiary may prefer a guarantee from a bank in her home country (with which she is more familiar). This may be the same bank as the negotiating bank.

Advising bank: The bank that receives the letter of credit from the issuing bank and notifies the beneficiary that the letter is available. This bank is also known

as the notifying bank, and may be the same bank as the negotiating bank and the confirming bank.

Intermediary: A company that connects buyers and sellers, and which sometimes uses letters of credit to facilitate transactions. Intermediaries often use back-to-back letters of credit (or transferable letters of credit).

Freight forwarder: A company that assists with international shipping. Freight forwarders often provide the documents exporters need to provide in order to get paid.

References

1. "Letters of Credit". export.gov. U.S. Department of Commerce. 27 April 2016. Retrieved 31 October 2017.
2. United City Merchants (Investments) Ltd v Royal Bank of Canada (The American Accord) [1983] 1 AC 168
3. Larson, Aaron (29 July 2016). "How do Letters of Credit Work". ExpertLaw.com. Retrieved 31 October 2017.
4. "Letters of credit for importers and exporters". Gov.uk. 1 August 2012. Retrieved 31 October 2017.
5. United City Merchants (Investments) Ltd v Royal Bank of Canada (The American Accord) [1983] 1 AC 168
6. "Understanding and Using Letters of Credit, Part I". Credit Research Foundation. 1999. Retrieved 31 October 2017.
7. Hashim, Rosmawani Che (August 2015). "The UCP 600 rules in Letter of Credit" (PDF). University of Malaya. Retrieved 31 October 2017.
8. McCurdy, William E. (March 1922). "Commercial Letters of Credit". Harvard Law Review. 35 (5): 539-592. JSTOR 1328326.

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारतीय समाज में महिला:कल ,आज और कल

डॉ. वंदना गॉधी'

'सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग,

स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय, रायसेन, म.प्र.।

प्रस्तावना :

भारतीय संस्कृति और समाज में नारी का आदरणीय, विशिष्ट तथा गौरवपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय नारी इस देश की पावन परंपराओं से प्रतिबद्ध, श्रेष्ठ संस्कारों से परिष्कृत तथा अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील, सतत जागृत और सहज समर्पित है। इसीलिए भारत की नारी को वैदिक काल से ही ''गृहस्वामिनी'' तथा ''गृहलक्ष्मी'' की गौरवमयी पदवी स्वतः प्राप्त है। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही इस भावना से प्रेरित रही है –

''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवताः।
यत्रेतास्तु न पूज्यंते, सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।''

आर्य संस्कृति में नारी समाज के प्रति यह केवल शाब्दिक सद्भावना का प्रदर्शन ही नहीं है, भारतीय गृहस्थ जीवन में पग–पग पर इसकी व्यावहारिक सार्थकता सिद्ध होती है। भले ही भौतिकतावादी पाश्चात्यभावापन्न मस्तिष्कों को इसमें कोई तथ्य न दिखाई दे और नारी गौरव की रक्षा के साथ दैवी प्रसन्नता की संगति भले ही उनकी बुद्धि में न आवें, किन्तु स्थूल जगत का सूक्ष्म दैवी जगत से संबंध और उसका रहस्य समझने वालों तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था–विशेषज्ञ धर्ममज्ञों के निकट इसका रहस्य विरोहित नहीं है।

वेदों से लेकर हमारे सभी धर्मशास्त्रों में स्त्री का दर्जा पुरूष से ऊँचा बताया गया है। प्रा. चीनकाल में हिन्दू नारी को मान और पूजा का यह स्तुत्य दर्जा सदैव प्राप्त रहा है। सीताराम, राधेश्याम, राधाकृष्ण, गौरीशंकर इत्यादि नाम आज भी स्पष्ट बता रहे हैं कि हिन्दू सभ्यता में पहले स्त्री को स्थान देकर पीछे पुरूष को दिया जाता है।

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। समाज का स्वभाव, व्यवहार, विचार, वेशभूषा, परिवेश सभी परिवर्तनशील है। इसी प्रकार समाज में नारी का स्थान भी भिन्न–भिन्न कालों में भिन्न–भिन्न रहा है। वैदिक समाज में नारी को उच्चतम स्थान प्राप्त था, किन्तु मुगलों के आक्रमण के बाद समाज में नारी की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आये,क्योंकि समाज के सामने भारतीय नारी की अस्मिता की रक्षा का प्रश्न मुँह बाये खड़ा था, जिससे बचने के लिए भारतीय नारी पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाये गये तथा महिलाओं से संबंधित सारी कुरीतियों ने समाज में स्थान बना लिया यथा बाल विवाह, बहुविवाह, रात्रि विवाह, पर्दाप्रथा, सतीप्रथा इत्यादि। इसके बावजूद नारी का विकास समक. ालीन समय में पुनः पूरी शक्ति एवं क्षमता के साथ आगे बढ़ा।

उद्देश्य :

भारतीय समाज में नारी की स्थिति परिवर्तनशील रही है। वैसे तो परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, प्रत्येक वस्तु, समाज, स्थितियॉं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि समय के हिसाब से परिवर्तित होती रही है। इसी प्रकार नारी की स्थिति भी विभिन्न युगों में भिन्न–भिन्न रही है। समाज में नारी की स्थति का आंकलन एक क्वालिटेटिव मापन है, जिसका आंकलन सामान्यतः किसी एक आधार पर किया जाना सम्भव नहीं होता है। इसी बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न युगों में नारी की स्थिति को तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित किये जाने के लिए नारी से जुड़े अन्य बिन्दुओं को विचारक्षेत्र में लेते हुए इस शोधपत्र की परिकल्पना की गई है। इस शोधपत्र के माध्यम से मुख्य युगों यथा वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, समकालीन युग में नारी की स्थिति को जानने के लिए निम्न बिन्दुओं के आधार पर चिंतन किया गया है :–

- सामाजिक
- शैक्षिक
- राजनैतिक
- वैवाहिक
- धार्मिक
- आर्थिक
- पारिवारिक

इसके अतिरिक्त अन्य और भी बहुत से बिन्दु इस संदर्भ में समाहित हो सकते हैं।

तुलनात्मक चिंतनः

(क) सामाजिक :

वैदिक युग में भारतीय समाज में नारियों को बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था और वे सामा. जिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ऋगवेद में नारी को गृहलक्ष्मी के रूप में चित्रित करते हुए उसे 'कल्याणी–जाया' अर्थात् मंगलकारिणी स्त्री कहा है। नारी को परिवार की स्वामिनी तथा साम्राज्ञी कहा गया है। वह कुलदायिनी या कुटुम्बकी पालक है। वैदिक युग में लड़कियों की

गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी, न ही मेल–मिलाप और शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रतिबंध था। इस प्रकार वैदिक युग में नारी की सामाजिक स्थिति अत्यंत उन्नत थी।

उत्तर वैदिक युग में मुगलों के आक्रमण के पश्चात् मुगल विजित सेना से भारतीय नारियों की रक्षा हेतु समाज में स्त्रियों पर बहुधा प्रकार के प्रतिबंध आरोपित कर दिये, जिसके कारण समाज में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियॉं घर कर गई। मुस्लिम महिलाओं में पर्दा प्रथा अत्यंत कठोरता के साथ लागू की जाती थी। अतः शासन और राजदरबार से जुड़े बड़े और प्रतिष्ठित हिन्दू परिवारों ने भी उनका अनुशरण करते हुए यह पर्दा व्यवस्था अपने परिवार की महिलाओं पर भी लागू कर दी।घर की चार दीवारी ही स्त्री का जीवन था। विभिन्न रूढ़ियों से उनको जकड़ दिया गया था। इस युग में स्त्रियों के समस्त अधिकारों का अपहरण कर लिया गया। स्त्रियों को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रखा जाता था। बचपन में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना होता था। इनकी सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी एवं वैदिक युग की तुलना में इस युग में सामाजिक स्थिति का पतन हुआ था।

समकालीन युग में वर्तमान में समाज में नारियों को पुरूषों के बराबर का दर्जा प्राप्त है, किन्तु ग्रामीण अंचलों में स्त्री के मन से अभी पुरूषों की पराधीनता की भावना मनःस्थल पर गहरी जमी हुई है। किन्तु नारियों में सामाजिक चेतना की एक नई लहर देखने को मिलती है। वे रूढ़ीवादी विचारों से दूर होती जा रही है और नये तार्किक आदर्शों और मूल्यों को भी अपनाती जा रही है। समाज में अब उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। शासन भी नारियों के सामाजिक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह स्थिति वैदिक एवं उत्तर वैदिक युग की तुलना में अत्यंत सृदृढ़ है।

(ख) शैक्षिक :

वैदिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में नारियों को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियों को भी पुरूषों के समान ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर गुरू से अभिन्न रूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। बुद्धिमती कन्या माता–पिता के लिए आदर्श कन्या मानी जाती थी।कन्याओं का बाल. कों की भॉंति ही उपनयन संस्कार भी होता था।1 कन्याऍं वेदाध्ययन करती, कविताऍं लिखती तथा वैदिक मंत्रों की रचना करती थी। वैदिक वाड्.मय में उनके मंत्र भी सम्मिलित किये गये हैं। कन्याऍं विदुषी बनकर अध्यापिकाऍं तथा ऋषिकाऍं हुआ करती थी। 'अपाला', 'रोमशा', 'सूर्या' ने मंत्रों की रचना की। इन्द्राणी ने ऋग्वेद के दशममंडल के सूक्ति की रचना तथा वागम्भृणी, रात्रि, भारद्वाजी, श्रद्धा, कामायनी आदि यंत्रदृष्णी विदुषियॉं थी, जिन्होंने कन्याओं के बुद्धि वैभव के आदर्श को उच्चतम शिखर पर प्रतिष्ठित किया।

गुरूओं के आश्रम में रहकर बालकों की भांति कन्याऍं भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई यज्ञोपवीत, मौंजी, मेखला तथा वल्कल धारण करती थी। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त कन्याऍं गणित, वैद्यक, संगीत, नृत्य तथा शिल्प आदि का भी अध्ययन करती थी। कन्याऍं धनुर्वेद अर्थात् युद्धविद्या

की भी शिक्षा लेती थी। मैत्रेयी, गार्गी आदि विदुषियों के नाम आज भी दैदीप्यमान है। नारी को ज्ञान–विज्ञान में निपुण होने के कारण ब्रह्म बताया गया है (स्त्री ही बह्म बभूबिध)2

''पुराकल्पे कुमारीणां मौजीबन्धनमिष्यते। अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा।।''

उत्तर वैदिक युग में हिन्दू स्त्रियों को शिक्षा देना अनावश्यक मान लिया गया। इस अशिक्षा के कारण स्त्रियों में अपने अधिकारों के संबंध में कोई जागरूकता नहीं हो पाई, अपितु वे अनेकों अंधविश्वास, कुसंस्कार और सामाजिक परंपराओं में इस प्रकार जकड़ गई कि उनसे पीछा छुड़ाना स्वयं ही एक समस्या बन गई। नारी को वेद ज्ञान से दूर कर दिया गया। महिलाओं के उपनयन संस्कार को निषेध किया गया। विदेशी आक्रमणकारियों के समय तो बालकों के लिए गुरूकुल चलाना कठिन हो गया था। तब कन्याओं के लिए गुरूकुल चलाना अत्यंत दुष्कर हो गया था। अतः उन्हें बंद कर दिया गया।3 इस प्रकार नारी शिक्षा के क्षेत्र में पुरूषों की तुलना में काफी निम्न स्तर पर पहुॅच गई, जिसके कारण समकालीन समय तक भी हम पूर्ण रूपेण इस क्षेत्र में विकास नहीं कर सके हैं।

स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में वर्तमान समय में पर्याप्त सुधार हुए हैं। आज स्त्रियॉ वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक इत्यादि सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रही है। सरकार भी स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। स्त्रियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियॉ, सुविधायें आदि देकर उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में छात्राएॅ तो शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा में तो छात्रों को भी पछाड़ रही है। महिलाओं ने आज पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का परचम फैला दिया है।विभिन्न उच्च तथा उच्चतम पदों पर महिलाओं ने अपना स्थान बनाया है तथा पुरूषों से बेहतर कार्य प्रदर्शित किया है।

(ग) राजनैतिक :

वैदिककालीन स्त्रियों को सभा और समितियों में विशेष स्थान प्राप्त होता था। वे अपने कौशल के दम पर सभा एवं समितियों में शामिल की जाती थी। ऋग्वेद व यजुर्वेद में नारी के युद्धकला में पारंगत होने का वर्णन है। यजुर्वेद में उसे अजेय, विजेता, सहस्त्रवीर्या कहा गया है4। ऋग्वेद में उसे शत्रुरहित, शुत्रनाशक, विजयिनी, अभिभूबरी नाम से संबोधित किया गया है5। नारी को शत्रुविजयिनी बताते हुए उसे शत्रुओं का तेज हरने वाला कहा गया है। नारी के लिए आवश्यक है कि वह ओजस्विनी हो, उसमें अपने चरित्र की रक्षा का सामर्थ्य हो। वह समाज में अधिकार स्थापित कर सके। वह तेजस्वी और वीर पुत्रों को जन्म दें, जो राष्ट्र की सुरक्षा में समर्थ हो तथा शत्रुओं का नाश कर सके।

उत्तर वैदिक युग में नारी अधिकारविहीन थी, जिसके समस्त अधिकारों का पुरूष समाज द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उच्च वर्ग की महिलाओं को राजनीतिक पद प्राप्त थे, किन्तु सामान्य महिलाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं थी।सन् 1919 तक स्त्रियों को वोट

देने का अधिकार पूर्णतः प्राप्त नहीं था। स्त्रियों को मताधिकार 1935 के बाद भी केवल उनकी शिक्षा पति की स्थिति, सम्पत्ति आदि के आधार पर किया गया। इस प्रकार इस युग में नारी की राजनी. तिक स्थिति नगण्य थी।

वर्तमान में महिलाएँ सभा, समिति की सदस्य बन सकती है। स्वतंत्रता के पूर्व तक उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, किन्तु आज वोट देने के साथ स्वयं भी लोकसभा, विधानसभा में उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त है। महिलाओं में पर्याप्त राजनीतिक चेतना आई है। शासन भी राजनीति में नारियों को समुचित आरक्षण का लाभ देते हुए उन्हें आगे लाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक होने के साथ ही साथ उनके राजनी. तिक विकास की पुष्टि करती है।

(घ)वैवाहिक :

ऋग्वेद में नारी के वैवाहिक संबंध के बारे में कहा गया है कि पति–पत्नी के विवाह का आधार प्रेम होना चाहिए। ऐसा विवाह श्रेयस्कर है। आदर्श विवाह के लिए कहा गया है योग्य व तेजस्वी पति सुशील व विदुषी कन्या से विवाह करें। गुणों के आधार पर होने वाला विवाह आदर्श विवाह है। जिस प्रकार वर को अधिकार है कि वह योग्य कन्या से विवाह करें। उसी प्रकार कन्या को भी अधिकार दिया गया है कि वह योग्यतम और अपनी रूचि के अनुसार वर छॉटे। इस प्रकार स्वयंवर विवाह को उचित माना गया है। विधवा विवाह मान्य था। बहुपती विवाह प्रचलित था, परन्तु स्त्रियों को अत्यंत आदर के साथ रखा जाता था। विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। विवाहोपरांत पत्नी स्वतंत्र रूप से धार्मिक कृत्यों को सम्पन्न भी करती थी।

उत्तर वैदिक युग में विवाहोपरांत स्त्री को पति की दासी तथा सास–ससुर की सेविका समझा जाता था। उससे जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। विवाहोपरांत पत्नी–पति के साथ धार्मिक कृत्यों में भाग लेना अपना आदर्श मानती थी। बाल विवाह विधवा विवाह निषेध तथा दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियॉ पने जोरों पर थी।

वर्तमान यु में विवाह धार्मिक संस्कार के साथ–साथ नारी पति की दासी नहीं बल्कि मित्र है। सास–ससुर की सेविका नहीं बल्कि सम्माननीय वधु है। एक विवाह को ही कानूनी मान्यता प्राप्त है। सन् 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के द्वारा बाल विवाह का अंत कर दिया गया है। दहेज प्रतिबंध अधिनियम द्वारा दहेज प्रथा का अंत। अंतर्जातीय विवाह मान्य, स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद की स्वतंत्रता प्राप्त है।

(ड.) धार्मिक :

वैदिक काल में नारी तपस्या से ऋषि का स्थान प्राप्त कर सकती थी। वैदिक काल में नारी नर की परामर्शदात्री मानी जाती थी, जिसे नर के प्रत्येक धार्मिक कार्य में साथ बैठने, कार्य करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। क्योंकि वह सहधर्मिणी थी। संयुक्त रूप से यज्ञानुष्ठान (5.53.15), संयुक्त रूप से अग्निहोत्र, पृथक रूप में भी नारी को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यज्ञशाला में उन्हें

आगे स्थान दिया जाता था और वे पहले यज्ञशाला में प्रवेश करती थी। वे अध्ययन–अध्यापन के अतिरिक्त युद्धों तक में जाती थी और वीरता की अमिट छाप छोड़ती थी। नारी नरत्व की नींव है इसके प्रतिपादन में कहा गया है – मैं देवता और मनुष्यों के परम–पुरूषार्थ की उपदेशिका हूँ, मेरी कृपा से ही लोक बलवान, मेधावी, स्तोता और कवि बनते हैं।

संहिताकालीन नारी का अंतःस्थल सात्विक, श्रद्धाविश्वास का वक्षस्थल माना जाता था। श्रद्धारूपी नारी ने सदा विश्वासरूपी नर का पादक्षालन किया है। वस्तुतः ज्ञानपूर्वी अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त करने के कारण ही नारी वैदिक काल में ससम्मान जीवन–यापन करती थी। आज का तमोगुणी मानव, नारी की उस श्रद्धामयी मूर्ति का आंकलन नहीं कर सकता, जिसको संहिताकाल का सात्विक पुरूष श्रद्धा से पूजता था। इस काल में नारी को नर के समान ही धार्मिक कृत्यों के सम्पादन की सुविधा थी।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के लिए धार्मिक संस्कारों में भाग लेने की मनाही हो गई। उनका प्रमुख धर्म पति आज्ञा पालन हो गया।

समकालीन युग में महिलाएँ धार्मिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक धर्म जैसे हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि अपने धर्म के हिसाब से धार्मिक कार्यों को सम्पादित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यह युग अत्यंत प्रभावी है तथा इय युग में नारियों को भी स्वतंत्र स्थान प्राप्त है।

(च) आर्थिक :

वैदिक काल में नारी की आर्थिक स्वतंत्रता नगण्य थी, परन्तु पिता, पति, पुत्र की छत्रछाया में रहते हुए उसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकारों की तरह आर्थिक अधिकारों के उपयोग की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी।वैदिक काल में नारी नर की सहधर्मिणी, सहचरी थी, जो परिवार की समस्त व्यवस्था पर नियंत्रण करती हुई पति का सहयोग करती थी। प्राचीन काल में नारी को साहित्य एवं ललितकलाओं की ही शिक्षा दी जाती थी, जिसका उद्देश्य धनोपार्जन नहीं था, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर धनोपार्जन करने पर प्रतिबंध नहीं था। विवाह में भेंटस्वरूप मिलने वाली सम्पत्ति या उपहारों पर पूर्ण अधिकार था। अविवाहित पुत्री को पुत्र के बराबर दायभाग का अधिकारी बताया गया है (मंत्र 85)। यदि पुत्र नहीं है, तो पुत्री को ही पूरी सम्पत्ति का अधिकारी बताया गया है (मंत्र 87, मंत्र 86)। (वेदामृतमः वेदों में नारी, पृष्ठ 117, 118) – डॉ. कपिल देव द्विवेदी

उत्तर वैदिक काल में सन् 1937 के पहले स्त्रियों को सम्पत्ति के संबंध में कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। अविवाहित कन्या का भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अधिकार नहीं था। पृथक सम्पत्ति में उसका अधिकार लड़कों और विधवाओं के बाद आता था। विवाहित स्त्री का स्त्रीधन के अतिरिक्त किसी अन्य सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। (भारतीय समाज में नारी की स्थिति – रवीन्द्रनाथ मुखर्जी, पृष्ठ 281)

समकालीन युग में आर्थिक दृष्टिकोण से आज स्त्रियों की स्थिति उच्च है वे अब केवल पति पर ही

आश्रित नहीं है। आज स्वयं भी जीविकोपार्जन कर रही है। वर्तमान भारत में स्त्रियॉं प्रत्येक व्यवसाय करते देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, सन् 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा हिन्दू स्त्रियों को माता, पत्नी, पुत्री के रूप में पुरूषों के ही समान सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

(छ) पारिवारिक :

वैदिक युग में मातृ सत्तात्मक तथा पितृ सत्तात्मक दोनों प्रकार के परिवार पाये जाते थे। वैदिककालीन नारी परिवार में श्रेयसी, रक्षिरा, संबंध विस्तार का कारण तथा धार्मिक, आर्थिक, सामा. जिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के उत्कर्ष का आधार थी। क्योंकि इन सबकी समष्टि के भीतर वह समाज उत्कर्ष की कोटि को प्राप्त करता था। इस काल में नारी को उच्च पारिवारिक दर्जा प्राप्त था।

उत्तर वैदिक युग में पितृ सत्तात्मक परिवार तथा संयुक्त परिवार जहॉं स्त्रियों का कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं था। पारिवारिक मामलों में सभी निर्णय पुरूष के होते थे और वह ही परिवार को नियंत्रित तथा संगठित करता था। परिवार में स्त्रियों के मन का कोई महत्व नहीं था। अतः उनकी स्थिति दीन–हीन थी। इस काल में नारी की पारिवारिक स्थिति निम्नतर स्तर पर थी।

समकालीन युग में परिवार में आज भारतीय नारी की स्थिति उच्च है।एकल व संयुक्त परिवार पाये जाते हैं। परिवार में महिलाओं के मत का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार से संबंधित समस्त निर्णयों तथा सम्पत्तियों में नारी का बराबरी का दर्जा प्राप्त है।

निष्कर्ष :

आजकल सर्वत्र नारी जागरण तथा नारी सशक्तिकरण की बात सुनी जाती है। उन पर सदा से ही अत्याचार होता आया है। अब वह शिक्षित होकर अपना न्याय अधिकार चाहती है। पुरूषों की भॉंती धनोपार्जन एवं सभी प्रकार के अधिकार चाहती है, जिससे वे पुरूषों की गुलामी में न रहे। राजनीतिक अधिकार चाहती है। इस तरह नाना प्रकार से सशक्तिकरण चाहती है, क्योंकि कहा जाता है ''हिन्दू समाज सदा से ही स्त्रियों पर घोर अत्याचार करता है, उनका अपमान करता है, उन्हें उपर्युक्त अधिकार नहीं देना चाहता है, विधवा विवाह को उचित नहीं बतलाता, लड़कियों का कम उम्र में विवाह करके उनकी सामाजिक और मानसिक शक्ति के विकास का मार्ग रोक दिया जाता है।'' अतएव हिन्दू समाज में जड़ से परिवर्तन होने की अत्यंत आवश्यकता है। परिवर्तन नहीं होगा तो हमारी उन्नति की भी कुछ आशा नहीं है। बहुत से लोग इन बातों को प्रामाणिक मान बैठे हैं, मानो पाश्चात्य समाज की स्त्रियों के ऐसे अधिकारों का प्रसार दिखाकर वे हम लोगों के लिए गन्तव्य पथ–निर्देश कर रहे हैं।

जो पहले से ही यह निश्चय कर बैठे हैं कि हिन्दू जाति पुरानी असभ्य जाति की भॉंति स्त्रियों पर जुल्म करती रही है, उन्हें यह ज्ञात नहीं होगा कि हिन्दुओं के सिवा किसी भी सभ्य जाति ने आज तक भगवान को स्त्री के रूप में नहीं देखा। यदि सचमुच हम स्त्री को हेय समझते हैं, तो सर्वशक्तिमान भगवान को भी स्त्री के आकार में कभी नहीं देखते, दुर्गा के रूप में उनकी कल्पना न करते, विपत्ति पड़ने पर घर–घर में चण्डीपाठ न होता, जीवन की प्रधान काम्यवस्तु की – शक्ति,

अर्थ और विद्या की अधिष्ठात्री के रूप में नहीं पूजते, हमारे वेदों में धर्मशास्त्रों में परिवार की सभी नारियों (बहन, बेटी, पुत्रवधु, भाई की पत्नी, जाति की स्त्रियों, मित्र की स्त्री) के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का जैसा विशेष निर्देश हैं – यहॉ तक कहा गया है कि वैसा सम्मानपूर्वक व्यवहार न करने से कुल के इहलोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं – वैसा अन्य किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं रेखा जाता।8

वैदिक काल में नारी की उच्च स्थिति उत्तर वैदिक काल में स्थिर नहीं रही। विदेशी आक्रमण कारियों से अपनी बहन–बेटियों की अस्मिता की रक्षा हेतु उन पर प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ी, जिससे महिलाओं की समाज में निम्न, पराधीन सी स्थिति हो गई, जो कि समाज में गहरे तक रच–बस गई। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर हमारे नेतृवर्ग ने अपनी केन्द्रीय और प्रदेशीय शासन व्यवस्थाओं ने नारी समाज की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान देकर अनेक प्रशंसनीय प्रयास किये हैं, जिससे समाज में नारी का सम्मान बढ़ा है।

शासकीय प्रयासों के साथ ही हमें हमारे समाज को युवावर्ग को अपने गौरवशाली इतिहास का आईना दिखाने की आवश्यकता है। जहॉ नारी गौरवपूर्ण, समृद्धशाली, श्रद्धेय, सशक्त रही है, वही स्थिति तथा सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए युवावर्ग को हमारी गौरवशाली संस्कृति से परिचय सुसंस्कृत तथा महिलाओं के प्रति श्रद्धा जागृत कराना होगा, ताकि हम एक बार फिर भारत माता की संतान की खाली झोली को 'नारी सदा पुण्य राशि है' की भावना से भरकर भारत को भारत बनाने के सत्संकल्प को साकार रूप दे सकने में समर्थ हो सकें। 'भारतीय समाज में नारी की स्थिति : एक तुलनात्मक चिंतन'इस आत्ममंथन में सहयोगी सिद्ध होगा तभी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सुसंस्कृत, शांत एवं आदर्श भारतीय समाज की पुनर्स्थापना होगी।

संदर्भ ग्रंथ :

1. वेदों में नारी – पद्मश्री डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, विश्वभारती अनुसंधान परिषद, मदोही (उ.प्र.)
2. वैदिक संहिताओं में नारी – डॉ. मालती शर्मा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
3. वैदिक साहित्य और संस्कृति– वाचस्पिति गैरोला, चौरवम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली–7
4. महाभारत में नारी – डॉ. वनमाला भवालकर, अभिनव साहित्य प्रकाशन, सागर (म.प्र.)
5. भारतीय समाज व संस्कृति – रवीन्द्रनाथ मुखर्जी, विवके प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली–7
6. भारत की संत परंपरा और सामाजिक समरसता – कृष्ण गोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढती भूमिका

गीता सिंह
शोधार्थी समाज शास्त्र विभाग,
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय,भोपाल

शोध निर्देशक
डॉ.सुधीर कुमार शर्मा
स.प्रा.समाज शास्त्र विभाग हमीदीया
कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

पंचायत प्रणाली में ग्राम राज और ग्राम स्वराज के बारे में भारत की अवधारणा पश्चिम की संकल्पना से अलग है । निर्णय करने की पंच परमेश्वर की भारतीय पध्दति एक आदर्श पध्दति है क्योंकि ये पंच, लोगों की समस्याओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं । हमारे देश में पंचायत की संकल्पना काफी पुरानी है । चौपाल, जाति पंचायत और परिवार पंचायत आदि संस्थाओं में आधुनिक पंचायत व्यवस्था की जड़ें व्याप्त थीं। सिंधु घाटी की सभ्यता में इसका प्रमाण मिलता है ।

हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं । अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता । भारत में अनादि काल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर काम किया । भारतीय महिलाएं घर–गृहस्थी का पूरा काम–काज निपटाने के साथ–साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में खेतों, खलिहानों, कल–कारखानों, दफ्तरों, अस्पतालों में उपयोगी योगदान करती आई हैं । चाहे गांवों में साक्षरता के प्रसार का अभियान हो, या गांव के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का मामला हो, गांव में पीने के पानी की समस्या अथवा फसलों को बीमारियों से बचाना हो यह सब कार्य ग्रामीण महिलाएं ही आपसी सहयोग और विकास कार्यों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके कर सकती हैं । बढती आबादी की रोकथाम, पर्यावरण की रक्षा,बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने और इन सबसे बढ़कर स्थानीय संसाधनों की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महिलाएं ही अपना योगदान और नेतृत्व दे सकती हैं । अतः पंचायती राज संस्थानों में भी महिलाओं की अहम भूमिका है ।

हमारे देश के कर्णधारों ने पंचायतों को अहम भूमिकाएं सौंपी, जिन में से एक थी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी को बढावा देना । संविधान के 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज को एक नई दिशा दी गई । इससे सब से बड़ा लाभ यह हुआ कि जनसहभागिता का लाभ कमजोर व पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को मिला । 33 प्रतिशत महिलाओं की निश्चित भागीदारी ने आरक्षण के द्वारा लगभग 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारी का अवसर दिया। इसके फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में 43प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि चुन कर सशक्तिकरण के मार्ग की ओर अग्रसर हुईं ।

यह निश्चित किया गया कि ग्राम स्वराज की व्यवस्था में ग्राम सभा की अपनी स्थाई समितियों का होना

आवश्यक है ताकि बैठकों में कोरम की अनिवार्यता में 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके । इसका यह लाभ हुआ कि अत्यधिक विरोधों के बावजूद देश भर में पंचायतों के जरिए जहां-जहां महिलाएं सरपंच चुनी गई, वहां-वहां कमोबेश पूरे उत्साह के साथ विकास कार्यों में जुट गई ।

सुझाव

राजनैतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतनिधियों के प्रति पुरुष समाज की रूढिवादी सोच बदलनी होगी । महिलाएं पहली बार राजनीतिक माहौल में आ रही हैं । इसलिए उनमें भय, संकोच एवं घबराहट होती है । ऐसी महिलाओं में साहस उत्पन्न करना होगा तथा महिलाओं को उनकी आंतरिक क्षमता एवं शक्ति पर भरोसा कराना होगा । महिलाओं को भी पुरुषों जैसा ही मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी होगी तभी राजनीति में महिलाओं का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो सकेगा । राजनैतिक माहैल में अपराधीकरण, आतंकवाद, काला धन, चरित्र लांछन जैसे दुर्गुण हैं, इससे महिलाएं सार्वजनिक रूप से अलग रहती हैं । उन्हें सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय बना रहता है। इसलिए राजनेताओं और राजनैतिक दलों द्वारा इस दूषित वातावरण में परिवर्तन लाना जरूरी है, ताकि महिलायें राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दे सकें ।

समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन करना आवश्यक है । ऐसे समाज का निर्माण करना होगा, जहां मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं, स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें । स्त्री और पुरुष, दोनों ही पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, अहंभावना से ऊपर उठ कर परस्पर सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का उपयोग कर गांव के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे ।

अधिकतर महिला प्रतिनिधि अनपढ है, ड़िससे उनको पंचायत के लेखापत्र, नियम पढने में या लिखने में दिक्कत आती है । अतः महिला पंचायत प्रतनिधियों को शिक्षा देनी जरूरी है । प्रौढ शिक्षा का लाभ उठाकर एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ व्यक्ति को पढाने का संकल्प करें तो निरक्षरता का कलंक शीघ्र ही दूर हो सकता है और इससे पंचायतें सक्षम बनेंगी ।

समस्याएं

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक रूकावटों के कारण महिलाओं को अपनी सांख्यिकी शक्ति के बावजूद समाज में बहुत छोटा दर्जा प्राप्त है । महिलाओं द्वारा अनौपचारिक राजनैतिक क्रियाओं में तीव्र वृध्दि के बावजूद राजनैतिक संरचना में इनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है ।

कई महिला प्रतिनिधियों को, खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को, वित्तीय समस्या से अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी पर जाना पड़ता है । उनका मानना है कि यदि वे पंचायत की बैठकों में जायेंगी तो उनके परिवार का पालन-पोषण कौन करेगा ।

यह देखने को मिलता है कि जिन महिला प्रतिनिधियों के परिवार में 13-16 सदस्य हैं वे परिवार की देखभाल करने और घर का काम करने के कारण पंचायत की बैठकों में कम ही भाग ले पाती हैं । जिन महिला प्रतिनिधियों का परिवार खेती पर निर्भर है, कृषि कार्य से समय न मिलने के कारण वे पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले पातीं है ।

ग्राम सभा स्तर पर

स्वयं सहायता समूहों को ग्राम सभा की बैठक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को प्रेरित एवं उत्साहित का सकती है।

ग्राम सभा द्वारा गठित निगरानी समितियों में महिलाओं को भागीदारी बड़ाई जा सकती है।

ग्राम सभा में कुछ मूलभूत प्रश्न उठाकर, जैसे, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का क्रमवार चयन, सड़क निर्माण योजना में स्थान का निर्धारण रोजगार योजना से जोड़कर स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य की परियोजना आदि में महिलाओं को प्राथमिकता दिलवा सकती हैं।

ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी पहल आदि पर चर्चा चला सकती हैं और निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर

स्थानीय विकास की कार्य योजनाओं का निर्माण करने तथा उनमें महिलाओं की भागीदारी बड़ाने के उपाय कर सकती है।

महिला शौचालय के निर्माण एवं सामान्य स्वच्छता सम्बन्धी प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है।

सभी बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास सफलीभूत हो सकता है।

सामाजिक– सामुदायिक कार्यों में स्त्री–पुरुष समानता के मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

अगर हम घर चला सकते हैं तो पंचायत क्यों नहींड़

पुणे जिले के कमलाबाई काकड़े नाम की एक महिला ने यह अपनी सहयोगी महिलाओं से सवाल पूछा था। यह महिला 1963 से 1968 तक की अवधि के लिए सरपंच चुनी गयी थी। पहली बार पुणे जिले के बारामती तालुका में निम्बुट नामक गाँव में सर्व–महिला पंचायत बनी थी। कई महिलाएं चुनाव लड़ने से डर रही थीं लेकिन क्म्लाबार ने उनकी हिम्मत दिलाई। डरना क्योंड़ उनहोंने पूछा, अगर तुम घर चला सकती हो तो पंचायत क्यों नहीं चला सकतीड़ यह प्रश्न आज हर स्त्री पुरुष को कुछ सोचने पर मजबूर करता है। पांच साल के अंदर निम्बुट की सर्व–महिला पंचायत ने ग्राम पंचायत के कार्यालय भवन का निर्माण किया, स्कूल की मरम्मत की और गान के लिए विद्युत आपूर्ति स्कीम मंजूर की। उन्हें जीप में बैठकर तालुका मुख्यालय में बैठक में भाग लेने का अनुभव भी प्राप्त हुआ और आम सभा में कुर्सी पर बैठकर अपनी राय व्यक्त करने का भी अनुभव मिला। कुछ महिलाओं को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं थी लेकिन घर के बाहर कदम रखने के फलस्वरूप उनको जो आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। उससे दूसरी महिलाओं का मार्गदर्शन हुआ जो दूसरे इलाकों में ग्राम पंचायतों चुनाओं में भाग लेना चाहती थीं। महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका तीन रूपों में की हो सकती है– एक लक्षित वर्ग के रूप में , एक वंचित वर्ग के महिलाओं को तीन तरह से सशक्त कर सकती है

1– एक लक्षित वर्ग के रूप में महिलाओं के लिए पंचायत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में एवं अपनी योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता देकर उनके सशक्तिकरण में सहायक हो सकती है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनी योजनाओं में अधिक्स अधिक महिलाओं को सहभागी बना सकती है, जैसे– राज्य महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही निम्नलिखित योजनाओं में उन्हें शामिल करके

- स्वशक्ति
- स्वयंसिद्ध
- स्वावलंबन
- दीप

ये कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह निर्माण द्वारा महिलाओं को संगठित करते हैं एवं बचत को प्रोत्साहित करते हैं। तथा उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से लघु उद्यमी के रूप में भी विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह की योजनाओं के माध्यम से पंचायत के अंदर महिलाओं में एकजुटता लाई जा सकती है एवं उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाई जाने वाली योजनाओं में उन्हें शामिल करके, जैसे ङ्क

- **जननी एवं बाल सुरक्षा योजना**

इसके अतर्गत प्रसवपूर्व महिलाओं की देखभाल, संस्थागत प्रसव, प्रसव पश्चात देखभाल तथा 9 महीने तक बच्चों का नियमित टीकाकरण शामिल है।

यह योजना जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा चलाई जाती है। इसके अतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाली माताओं को प्रसव के लिए अस्पाताल पहुँचाने से लेकर प्रसव पश्चात दवाएं इत्यादि आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए आर्थिक मदद का भी प्रावधान है।

महिला स्वाधार योजना

केंद्र सरकार द्वारा सम्पोषित इस योजना के अंतर्गत निराश्रित, परित्यक्ता, विधवा एवं प्रवासी महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग की व्यवस्था इस प्रकार है:

1. पुनर्वास के लिए जमीन ऋय हेतु वितीय सहायता
2. भवन निर्माण हेतु सहायता
3. भोजन, आश्रय, वस्त्र आदि के लिए सहायता

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम

यह कार्यक्रम जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती/शिशुवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के सम्पूर्ण विकास को बड़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

पंचायत एवं महिलाएं

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में महिलाएं के लिए 50त्न आरक्षण तथा पंचायत चुनाव में लगभग 65त्न महिला प्रतिनिधियों की जीत से जो पंचायतों का स्वरुप बदला है, उसकी पृष्ठभूमि में अब मात्र यह बताना काफी नहीं होगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका क्या है, बल्कि अब खुद पंचायतों के सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका क्या होने जा रही है– यह देखना भी बहुत रोचक होगा।

पंचायतों का यह नया एवं बदला हुआ स्वरुप जिला प्रशासन एवं राज्य शासन के लिए भी एक नई चुनौती है और एक नया अवसर भी। चुनौती इसलिए कि प्रशासन को किसी महिला बहुल लोक–संस्था के साथ कार्य करने का कोई अनुभव नहीं। और, अवसर इसलिए कि अब पंचायतों को प्रशासनोन्मुखी से लोकोन्मुखी बनाने में राज्य

शासन को बहुत अधिक चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि, महिलाएं अपनी हर भूमिका को परिवार से जोड़कर देखना कभी नहीं भूलतीं।

जीवकोपार्जन और संतानोत्पत्ति की दोहरी भूमिकाओं के बीच खड़ी महिलाओं की माँ, बहन, बेटी, और पत्नी के रूप में पारिवारिक भूमिकाएं अच्छी तरह परिभाषित हैं जिन्हें वे अनन्तकाल से सफलतापूर्वक निभा रही है। इसके अतिरिक्त आज की दुनिया में प्रायः हर क्षेत्र में हर स्तर पर उनहोंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन का लोहा मनवाया है। परन्तु, किसी गणतंत्र की संवैधानिक संस्था के बहुमत वाले वर्ग के रूप में अपनी भूमिका निभाने का मौका महिलाओं को पहली बार प्राप्त हुआ है। शायद दुनिया में पहली बार बिहार की महिलाओं को यह अवसर प्राप्त हुआ है। महिलाओं के लिए एक वर्ग के रूप में नया एक अनोखी एवं अचानक आई स्थिति है। इसमें चुनौतियाँ भी है और खतरे भी। बड़ी चुनौती यह है कि अपनी पारिवारिक दायित्वों को निभाने के साथ-साथ अब महिलाओं को एक वर्ग के रूप में अपनी सूझ-बुझ एवं निर्णय लेने की क्षमता दिखानी होगी। साथ ही सामुदायिक कल्याण के लिए अपनी कल्पनाशक्ति और प्रतिबद्धता भी सिद्ध करनी होगी। इतनी बड़ी सामाजिक भूमिका निभाने में बहुत सी महिला प्रतिनिधियों का साक्षर न होना थोड़ी मुशिकल तो पैदा करता है, पर रुकावट नहीं, क्योंकि जिस समझदारी एवं सूझ-बुझ की आवश्यकता इस नई भूमिका को निभाने में है उसमें शिक्षित होना एक सहूलियत तो है पर उसका अभाव अड़चन नहीं पैदा कर सकता ।

ग्रन्थ सूची

1. महात्मा गांधी, नये युग का सूत्रपात (प्रस्तुति-शरद कुमार साधक) आचार्यकुल, वाराणसी, 2003।
2. सुरेन्द्र कटारिया, भारत में प्रशासन, मलिक एण्ड कम्पनी जयपुर, 2005।
3. पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण, (संकलन), इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, जून-जुलाई 2003।
4. भारत (वार्षिकी) प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 2006-07।
5. योजना, (मासिक) प्रकाशन विभाग, भारत सरकार 2006-07।
6. कुरूक्षेत्र (मासिक) प्रकाशन विभाग, भारत सरकार 2006-07।
7. पंचायती राज अपडेट (मासिक), इंस्टीट्यूट आफ नेशनल साइंसेज,दिल्ली, 2006-07।
8. भारत का संविधान, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

IMPACT STUDY OF AMBEDKAR'S JOURNALISM IN HISTORY OF MASS COMMUNICATION A-STUDY

Karnika Dubey
(Research scholar)
Department of History
Barkutullah University,Bhopal

The history of the press in India is the history of the freedom movement in the country. To a great extent, the Indian National Congress owed its popularity and position to the Indian press (Mazumdar, 1993). The history of the freedom movement happened to be the history of Congressmen. Hence the history of the press in India is the history of the newspapers run by Congressmen. The history of the oppressed community is being neglected and the history of the upper caste is celebrated in India. The majority which accepts Mahatma Gandhi as a great journalist declines to speak about the journalism of Ambedkar or the newspapers run by Ambedkar. It is important to identify the different interpretation of history of the freedom struggle as well as the press in India. This paper will look into the experiences of Ambedkar with media.

Its aim is to *explore the newspaper initiatives of Ambedkar, *study the representation of Ambedkar in media and *recognize his views on media. The paper will discuss the data observed using desk research. This is done by summarizing published sources - a form of secondary research.

Ambedkar's Journalism

Dr. Ambedkar was also a successful journalist. He provided a platform for social revolution through his papers. It is important to note that Gandhi started Harijan in 1933 to propagate the cause of untouchables. He started that only after the Poona pact. The Indian media which admires Gandhi's efforts to start a newspaper for the untouchables never addresses Ambedkar's labors that are responsible for running four newspapers for his people. As the pro-Congress media refuse to speak about the oppressed people, Ambedkar's struggles, his ideology, Ambedkar required a media, a mouthpiece. Ambedkar strongly believed that newspapers could bring about a change in the lives of the millions of oppressed people. Dr. Ambedkar's

Marathi newspapers announced a new politics and ethics and anticipated a just social order (Pandian, 2005). Ambedkar published a series of newspapers namely Mook Nayak (weekly newspaper), Bahishkrit Bharat (half-monthly newspaper), Janata (weekly magazine).

The newspapers were actively involved in constructing a nation and mobilizing the masses to participate in the freedom movement. Around the same time, B.R. Ambedkar started propagating a different vision of Dalithood through his newspaper Janata, which stressed the Dalit's difference from the mainstream 'nation'. Ambedkar demanded a separate Dalit-space, rather than a submersion of the Dalit cause in the Gandhian agenda of building a coherent, homogeneous nation-space (Narayanan, 2005). The editor of the weekly Janata was Bhaskarrao Kadrekar.

Ambedkar started Mook Nayak on January 32, 1920, a fortnightly paper with the help of the Maharaja of Kolhapur. Although Ambedkar was not its official editor, he was the man behind it and it was his mouthpiece. Kesari newspaper refused to publish the advertisement about Mook Nayak. How violent and unfavourable were the times can be seen from the fact that the Kesari refused to even announce its publication although solicited to do so as a paid advertisement. And this happened when Tilak was still alive! (Keer, 1954). Not only was touching the oppressed people considered untouchability, publishing advertisements about their newspaper (in their publication) was also considered untouchability.

Dr .B. R. Ambedkar: A Social Reconstuctionist

Abstract

Dr. Ambedkar's legacy as a socio-political reformer had a deep effect on modern India. In post-Independence India, his socio-political thought is respected across the political spectrum. His initiatives have influenced various spheres of life and transformed the way India today looks at socio-economic policies, education and affirmative action through socio-economic and legal incentives. His reputation as a scholar led to his appointment as free India's first law minister, and chairman of the committee for drafting the constitution. He passionately believed in individual freedom and criticized caste society. His accusations of Hinduism as being the foundation of the caste system made him controversial and unpopular among Hindus. His conversion to Buddhism sparked a revival in interest in Buddhist philosophy in India and abroad. Ambedkar was voted the "Greatest Indian" in 2012 by a poll organized by History TV18 and CNN IBN. Nearly 20 million votes were cast, making him the most popular Indian figure since the launch of the initiative. Due to his role in economics, Narendra Jadhav, a notable Indian economist, has said that Ambedkar was "the highest educated Indian economist of all

times." AmartyaSen, said that Ambedkar is "father of my economics", and "he was highly controversial figure in his home country, though it was not the reality. His contribution in the field of economics is marvelous and will be remembered forever." President Obama addressed the Indian parliament in 2010, and referred to Dalit leader Dr. B.R. Ambedkar as the great and revered Human Rights champion and main author of India's constitution.
Discover the world's research

"Life should be great rather than long." -Dr. B.R.Ambedkar
BhimraoRamjiAmbedkar ; (14 April 1891 - 6 December 1956), popularly known as Babasaheb, was an Indian jurist, economist, politician and social reformer who inspired the Modern Buddhist Movement and campaigned against social discrimination against Untouchables , while also supporting the rights of women and labour. He was Independent India's first law minister and the principal architect of the Constitution of India. Ambedkar was a prolific student, earning a law degree and various doctorates from Columbia University and the London School of Economics, and gained a reputation as a scholar for his research in law, economics and political science. In his early career he was an economist, professor, and lawyer. His later life was marked by his political activities; he became involved in campaigning and negotiations for India's independence, publishing journals advocating political rights and social freedom for Dalits, and contributing significantly to the establishment of the state of India. In 1956 he converted to Buddhism, initiating mass conversions of Dalits.In 1990, the Bharat Ratna, India's highest civilian award, was posthumously conferred upon Ambedkar. Ambedkar's legacy includes numerous memorials and depictions in popular culture.

DR. B.R. AMBEDKAR AS A HISTORIAN

Dr Ambedkar was a versatile personality who left an undeniable impression on many subjects including history. The paper examines the methodology adopted by Ambedkar in the writing of history. Ambedkar?s notion of history could be looked into on two basic premises:
1) To look at Ambedkar?s view of History and in that course to detect his methodology and his
inclinations.
2) To narrate the history as understood by him.
Ambedkar was more trained as an economist than a historian. But his involvement in social and political activism had compelled him to develop a long-standing obsession with history. Hence his writings have remained more historical than his concern for any other subject mat-

ter.

Analyzing Ambedkar?s writings one comes to perceive that he was in favour of the kind of objectivity that Leopold Von Ranke had advocated. Ranke wanted an accurate statement of factsand his thought shaped the 19th century historical writings. Like Ranke, Ambedkar too espoused a great love for accuracy as seen through all his writings. To quote his own words, which has been described at the very introduction of his work "who were the shudras?" as Ambedkar puts it: An historian ought to be exact, sincere, and impartial; free from passion, unbiased by interest, fear, resentment or affection; and faithful to the truth, which is the mother of history, the preserver of great actions, the enemy of oblivion, the witness of the past, the director of the future. In short he must have an open mind, though it may not be an empty mind, and readiness to examine all evidence even though it is spurious. Ambedkar accepting objectivity as the parameter for any historian, over rides it by advocating "Serviceable truth". He on his part believed in the intervention of man rather than divinity in the unfolding of events related to history. Ambedkar firmly believed in the role, played by great men in shaping history as described by the historian Thomas Carlyle, in his book "Heroes, Hero-worship and Heroics in History". He never believed in the philosophy that, "Man is the captive of time". To hold the view that Time, call forth the man and he on his part did nothing, was to wrongly interpret

history, and was the belief of Ambedkar. He said that there were three different views on the causes of historical changes.

1. The Augustian theory of history, according to which history is only an unfolding of a divine plan, till it is completed on the day of judgement.

2. The view of Buckle, who held that history, was made by Geography and Physics. 3. The view of Karl Marx, according to whom history was the result of economic forces. Ambedkar says none of these three theories would admit that history is the biography of great men as propounded by Thomas Carlyle. Indeed they all deny man any place in the making of history. According to Ambedkar, the observations of Buckle and Marx do not represent the whole truth. He says that "they are wrong in holding that, impersonal forces are everything and that man is no factor in the making of history. That, impersonal forces are a determining factor cannot be denied. But that the effect of impersonal forces depends on man, must also be admitted." He gives a rather glaring analogy that: ". . . . flints may not exist everywhere. But where it does exist, it needs man to strike flint against flint to make fire. Seeds may not be found everywhere. But where they do exist, it needs man to ground it to powder and make it a delectable and nutritious paste . . . . There are many areas devoid of metals. But where they do exist,

it needs a man to make instruments and machines which are the basis of civilization and culture". He was also in favour of imagination and interpretation to tide over the difficulty of missing link in history. Thus Ambedkar?s writings form an essence to any serious historical understanding. B.R. Ambedkar's Role in Indian Politics B.R. Ambedkar was a representative figure of Indian Politics in the Gandhian era. Gandhi was the unchallenged leader of Indian National Congress; Jinnah represented the separatist Muslim forces and Ambedkar was the main spokesman of Depressed Classes in India. Ambedkar had been born in an untouchable family and had suffered from humiliation on that account. By his exertions and perseverance he proved himself the unchallenged leader of the Depressed Classes in India as well as a statesman of national stature. Decades have passed since independence and Ambedkar?s death. At the distance of time it is perhaps worthwhile to evaluate his role and personality in proper historical perspective. For most of his life Ambedkar worked outside the mainstream of national politics. He worked for the Depressed Classes? uplift within the political and constitutional framework of the imperialist era. He sincerely felt that being socially treated as an untouchable, he could not get a status of equality and dignity within the Congress politics which was dominated by Caste Hindu politicians.

Mahatma Gandhi realized Ambedkar?s mental state and said: "He is pronounced as belonging to the Depressed Classes and as being untouchable. Intellectually he is superior to thousands of intelligent and educated caste Hindus. His personal cleanliness was as high as that of any of us. Today he is an eminent lecturer in law. Tomorrow you may find him a Judge of the High Court. In other words there is no position in the Government of this country to which he may not aspire or rise and to which an orthodox Brahmin can rise." Ambedkar pointed out that though the Caste Hindu Congressmen adopted a radical stand in politics, in social matters they were traditionalists and upheld social inequality.

Gandhi also felt that many Congressmen supported his anti-untouchability programme only out of political consideration and that they had no hearty support for this programme. Even though Ambedkar kept aloof from the political programme and activities of the National Congress, yet he cannot be branded as protégé of the British imperialism. He fearlessly criticized the failings of the British Government. He pointed out that the British Government supported the cause of Depressed Classes only out of ulterior political motives and gave undue weightage to the Hindu conservatives. Ambedkar professed and proclaimed that the uplift of the Depressed Classes was be all and end-all of his life. He did not show any eagerness to earn the reputation of a nationalist leader. This is why he fearlessly and frankly expressed his views for the cause of Depressed Classes and quarreled with Congress and even Mahatma Gandhi.

In September 1932, when B.R. Ambedkar?s Role in Indian Politics Odisha Review Mahatma Gandhi announced his decision to fast unto death, protesting against the provision of separate electorates for the Depressed Classes in the British Prime Minister's Communal Award, and when practically the whole nation backed Gandhi's stand, Ambedkar criticized Gandhi and called his fast " a political stunt". Gandhi took Ambedkar's views seriously and finally agreed to reservation of seats for the Depressed Classes in joint electorates, which was embodied in the Poona Pact. Ambedkar was a social revolutionary.

He endeavored to rouse self-consciousness and self-respect among the Depressed Classes. He advised them to be leonine heroes instead of remaining as innocent as goats. He aimed at eradicating social distinctions, based on caste and Varna, and establishing a social order, based on liberty, equality and fraternity. At the fag-end of his life he with his followers embraced Buddhism, as he considered Buddhism, to be a humanitarian religion, based on liberty, equality and fraternity. As Ambedkar worked outside the mainstream of Congress politics and also criticized the Congress, he was suspected by many to be a separatist and pro-British. But all along the remained a patriot.

He used to say that patriotism was not the monopoly of Congress and that one could be patriotic without becoming a Congressman. He considered the uplift of the backward sections of the society to be more important than mere political emancipation of the country. Political freedom was meaningless without the elevation of the backward sections of the society. Mahatma Gandhi also held similar views as he thought of the concept of Swaraj in terms of the meanest of the countrymen. Even though Ambedkar had quarreled with Congress and Gandhi on certain basic issues, on the eve of independence he accepted the invitation of the Congress to join the Union Government and played his role in the building of the nation. As the

Chairman of the Drafting Committee of the Constitution he played the major role in hammering a new constitution. He took all care to enshrine the progressive ideas and ideals of the National Congress in the Constitution. Generally Ambedkar is known as the father of Indian Constitution. Dr. K.V.Rao has described him as the mother of the Constitution as he gave constitutional shape

to the ideas of Congress rather than his own. He held the portfolio of Law in Jawaharlal Nehru's first Cabinet. Because of his differences with the Congress and Prime Minister Nehru, he resigned from the Union Government. Ambedkar is generally regarded as the great protagonist of reservation of seats in legislature and posts in Government. But towards the end of his life, when he embraced Buddhism with his followers, he advised the Scheduled Castes to

stand on their own legs instead of depending on crutches. Ambedkar is a rare personality in the national life of India. He was an economist, a jurist, a social revolutionary, a constitution-maker, an able parliamentarian, an administrator, and above all a constructive statesman of extraordinary caliber. He had entered public life as a well-equipped soldier with Ph.D. from the Columbia University, D.Sc. from London School of Economics and Bar-at-Law from Gray's Inn. Born as a "social leper" (as the untouchables were being treated in those days) Ambedkar could rise to the
stature of a towering personality in the national politics through perseverance as well as a profound sense of self-respect and human justice.

DR. B.R. AMBEDKAR AS A JOURNALIST

As part of his struggle spanning over 4 decades, Dr. Ambedkar always used print media of his own as one of the instruments to achieve his goal of emancipating the untouchables. Even in 1920 when he had just begun his struggle, he launched a Marathi fortnightly, "Mooknayak, (the leader of the dumb)". Dr. Ambedkar had written editorials for this magazine. This magazine survived just for about a year and half. The magazine could be started with the financial assistance from Chhatraapti Shahu Maharaj of Kolhapur. In April 1927, Dr. Ambedkar started the magazine called "Bahishkrit Bharat (The Ostracized India)". This time he was more organized. He had bought over a printing press through public donations. The press was named as "Bharat Bhushan Printing press". During the publication of B.B, Dr. Ambedkar personally took lot of care to see that every issue has very high standard of writing. This magazine was published for about 2 years. In 1930, Dr. Ambedkar started a new journal named, "Janata (The People)". This magazine lived for 26 years. After that the magazine?s name was changed to "Prabuddha Bharat (Enlightened India)". The names of the magazine which Dr. Ambedkarpublished had the reflection and the emphasis of the direction of his movement at a particular time. He changed the name of Janata to Prabuddha Bharat when he was in the process of launching the massive historic conversion to Buddhism. InterpretationThe newspapers of that time were not ready to publish about the oppressed people or the leaders who were striving hard for that people. The oppressed people, who were excluded, segregated, oppressed from the society experienced the same from the media. Ambedkar, who tried to abolish untouchability, was portrayed as bhimasur against the Indian society. The space, the placement, the usage of language and the tone in the news about Ambedkar proved that he was given less attention, less prominence and negative representation.Ambedkar was aware about the media ownership and the social composition of the media. Most of the newspapers during the freedom movement were under the ownership of Congressmen and caste Hindus. So obvi-

ously they were against any views which opposed Hinduism and Congress party. The very same newspapers which represented Dandi yatra of Gandhi as a satyagraha refused to accept Ambedkar's Mahad struggle as a satyagraha. Moreover, they derided that struggle as a betrayal. As it was not possible to rely on the pro-Congress mass media to publish his news and views, Ambedkar decided to run newspapers.

HOME OF INEQUALITY

In the first issue of the Mookanayak, Ambedkar brilliantly propounded the aim of the paper in simple yet convincing and forceful language. He wrote that India was a home of inequality. Hindu society, he observed, was just like a tower that had several storeys but without a ladder or an entrance. One was destined to die in the storey in which one was born. Hindu society, he continued, consisted of three parts: the Brahmins, the non-Brahmins and the untouchables. He pitied the souls of those who believed God existed in animals as well as inanimate things and yet treated their co-religionists as untouchables. He lamented that Brahmins aimed not to spread but to monopolize knowledge and literacy. In his view, the backwardness of the non-Brahmins was due to a lack of education and power; in order to save the Backwards from perpetual slavery, poverty and ignorance, herculean efforts must be made to free them from their disabilities.

REFERENCES

1. https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar
2. http://www.baiae.org/copyright-c/24-articles/98-essay-on-vision-and-direction.html
3. http://www.thefamouspeople.com/profiles/b-r-ambedkar-3657.php
4. http://www.ijims.com/uploads/6234d62be95d2074db43z34.pdf

+B.R. Ambedkar, 'Plea to the Foreigner' from 'What Congress and Gandhi have done to the Untouchables.

Babasaheb Dr. Ambedkar's Book collection: Volume 17, 1993, Government of India.

Babasaheb Dr. Ambedkar's Book collection: Volume 2, 1993, Government of India.

Curran, James, Michael Gurevitch & Janet Woollacott (1982): 'The study of the media: theoretical approaches'. In Gurevitch et al. (Eds.), op. cit. [very useful]

Jeganathan. A., Probing into Double vote system, 2006, Kavin friends, Madurai.

Jyoti Punwani, 2006 Khairlanji and the English press: Online: www.thehoot.org, 2006,